



राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
National Testing Agency
Excellence in Assessment

राष्ट्रीय पात्रता
सह प्रवेश परीक्षा
(यूजी)
नीट-२०२०

सूचना विज्ञप्ति

विभिन्न चिकित्सा पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए



राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी

परिकल्पना

एनटीए की परिकल्पना एक ऐसी परीक्षण संस्था के रूप में की गई है जो उत्कृष्ट, विशेषज्ञ, स्वायत्त एवं आत्मनिर्भर होगी। यह संस्था अपने शोध एवं उत्कृष्ट उम्मीदवारों के चयन द्वारा भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों की सहायता करके भारत को अपने जनसाधिकीय लाभांश का लाभ उठाने में सहयोग करेगी।

लक्ष्य

- दक्षता, पारदर्शिता एवं दोषमुक्त प्रतिपादन के अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाले मूल्यांकन के तरीकों/उपकरणों का उपयोग करके नामांकन एवं भर्ती के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करके भारत की उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान में निष्पक्षता एवं गुणवत्ता को विकसित करना।
- सर्वोत्कृष्ट विषय विशेषज्ञों, मनोमितिज्ञों तथा सूचना प्रौद्योगिकी वितरण/प्रतिपादन एवं सुरक्षा व्यवसायियों (IT delivery security professionals) की सेवाओं का उपयोग मौजूदा मूल्यांकन प्रणालियों की त्रुटियों या कमियों को ठीक तरीके से पहचानने एवं दूर करने के लिए करना।
- शिक्षा एवं व्यवसायिक विकास के मानकों पर सूचना एवं अनुसंधान का उत्पादन और प्रसारण करना।

आधारभूत मूल्य

अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनटीए इन आधारभूत मूल्यों का वहन करेगा –

- गुणवत्ता, दक्षता, प्रभावशीलता, निष्पक्षता एवं सुरक्षा इसके मूल्यांकन केंद्र में रहेगा।
- हितधारकों अर्थात् छात्र, अभिभावक, शिक्षक, विशेषज्ञ एवं सहयोगी संस्थान इस प्रणाली में अपना विश्वास बनाए रखेंगे।
- मूल्यांकन में निरंतर नवाचार द्वारा अपने अभ्यासों का अद्यतन एवं मूल्यांकन में अनुसंधान को शामिल कर अपने लक्ष्यों को पूरा करना इसके लिए महत्वपूर्ण है।
- वैज्ञानिक रूप से अभिकल्पित एवं समुचित तरीके से प्रतिपादित मूल्यांकन ही कक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बना सकता है।

दस्तावेज में निहित जानकारी जनता के लिए है। सभी अधिकार सुरक्षित हैं। दस्तावेज में किसी भी प्रकार के परिवर्धन, परिवर्तन एवं संशोधन की अनुमति नहीं हैं।

यद्यपि इस प्रति को तैयार करने में पूरा प्रयास किया गया है कि अंग्रेजी में प्रकाशित दस्तावेज (Information Bulletin) में पूरी जानकारी सम्मिलित हो, किसी भी प्रकार की त्रुटि के संबंध में अंग्रेजी प्रति में उल्लिखित जानकारी ही मान्य होगी।



संक्षिप्त – शब्दावली

एएसीसीसी	आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति
एआईआईएमएम	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एएमयू	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
बीएएमएस	आयुर्वेदिक औषधी एवं शल्य चिकित्सा स्नातक
बीडीएस	दन्त शल्य चिकित्सा स्नातक
बीएचयू	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
बीएमएसएच	होम्योपैथिक औषधि एवं शल्य चिकित्सा स्नातक
बीओजीसीसीएच	प्रशासक मंडल, केंद्रीय परिषद होम्योपैथी
बीएमएमएस	सिद्धौषधि एवं शल्य चिकित्सा स्नातक
बीयूएमएस	यूनानी औषधि एवं शल्य चिकित्सा स्नातक
सीसीआईएम	केंद्रीय परिषद भारतीय औषधि
डीसीआई	भारतीय दंत परिषद
डीजीएचएस	महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार
डीयू	दिल्ली विश्वविद्यालय
ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ईडब्लूएस	आर्थिक पिछड़ा आयोग
आईएनआई	राष्ट्रीय महत्ता संस्थान
जेआईपीएमईआर	जवाहर लाल नेहरू औषधीय शिक्षा एवं शोध संस्थान
एमबीबीएस	औषध स्नातक एवं शल्य चिकित्सा स्नातक
एमसीसी	चिकित्सा परामर्श समिति, महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार
एमसीआई	भारतीय चिकित्सा परिषद
एमओएच एवं एफडब्लू	परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय
एमओए	आयुष मंत्रालय
एनईईटी (यूजी)	(पूर्व स्नास्तक पाठ्यक्रम) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
एनएमसी	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
ओबीसी—एनसीएल	अन्य पिछड़ा वर्ग—नॉन क्रीमी लेयर
पीडब्लूडी	दिव्यांग / शारीरिक रूप से अशक्त
एससी	अनुसूचित जाति
एसटी	अनुसूचित जनजाति
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश



महत्वपूर्ण जानकारियां एवं तिथियां एक नज़र में

(कृपया अधिक जानकारी के लिए सूचना विज्ञप्ति देखें)

1 महत्वपूर्ण तिथियां एवं शुल्क का विवरण

आवेदन पत्र की ऑनलाइन प्रस्तुति	2 दिसंबर 2019 – 31 दिसंबर 2019 (11:50 पीएम तक)								
क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से शुल्क भेजने की अंतिम तिथि	2 दिसंबर 2019 – 01 जनवरी 2020 (11:50 पीएम तक)								
अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला शुल्क	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">सामान्य</td> <td style="padding: 5px;">1500 /–</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">सामान्य/सामान्य-ईडब्लूएस/ओबीसी-एनसीएल-</td> <td style="padding: 5px;">1400 /–</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">एससी/एसटी/पीडब्लूडी/ट्रांसजेंडर</td> <td style="padding: 5px;">800 /–</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;">अभ्यर्थी द्वारा प्रयोज्य (जो देय हो) प्रसंस्करण शुल्क और वस्तु एवं सेवा शुल्क का भुगतान किया जाना है।</td><td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>	सामान्य	1500 /–	सामान्य/सामान्य-ईडब्लूएस/ओबीसी-एनसीएल-	1400 /–	एससी/एसटी/पीडब्लूडी/ट्रांसजेंडर	800 /–	अभ्यर्थी द्वारा प्रयोज्य (जो देय हो) प्रसंस्करण शुल्क और वस्तु एवं सेवा शुल्क का भुगतान किया जाना है।	
सामान्य	1500 /–								
सामान्य/सामान्य-ईडब्लूएस/ओबीसी-एनसीएल-	1400 /–								
एससी/एसटी/पीडब्लूडी/ट्रांसजेंडर	800 /–								
अभ्यर्थी द्वारा प्रयोज्य (जो देय हो) प्रसंस्करण शुल्क और वस्तु एवं सेवा शुल्क का भुगतान किया जाना है।									
वेबसाइट पर ही आवेदन पत्र में दिए गए ब्योरे में संशोधन	15 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020								
एनटीए वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि	27 / 03 / 2020								
परीक्षा की तिथि	03 / 05 / 2020								
परीक्षा की अवधि	180 मिनट								
परीक्षा का समय	02:00 पीएम से 05:00 पीएम तक								
नीट (यूजी) 2020 परीक्षा के केंद्र	प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट								
दर्ज की गई प्रतिक्रियाओं और उत्तर कुंजी का प्रदर्शन	वेबसाइट पर बाद में घोषित किया जाएगा								
वेबसाइट	www.nta.ac.in www.ntaneet.nic.in								
एनटीए वेबसाइट पर परिणाम की घोषणा	04 / 06 / 2020								



- राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की केंद्रीय सूची के अनुसार ओबीसी-एनसीएल (अन्य पिछड़ा वर्ग – नॉन क्रिमी लेयर)। इस सूची में आने वाले उम्मीदवार श्रेणी कॉलम में ओबीसी-एनसीएल (अन्य पिछड़ा वर्ग – नॉन क्रिमी लेयर) का उल्लेख कर सकते हैं। राज्य की सूची में आने वाले ऐसे ओबीसी – एनसीएल उम्मीदवार जो ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची) में नहीं हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी चुनना होगा।
- 1 अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही नीट (यूजी) – 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 - 2 एनटीए की वेबसाइट www.ntaneet.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया जा सकता है। किसी अन्य मोड में आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
 - 3 एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही आवेदन जमा किया जाना है।
 - 4 अभ्यर्थी को सूचना विज्ञप्ति और एनटीए वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जाएगा।
 - 5 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिया गया ई-मेल पता और मोबाइल नंबर उनका या उनके अभिभावक का है क्योंकि एनटीए द्वारा सभी जानकारी/संचार सिर्फ उसी पंजीकृत ई-मेल पते या पंजीकृत मोबाइल पर दी जाएगी।
 - 6 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का निर्देश :
- सूचना विज्ञप्ति और आवेदन पत्र की प्रतिकृति डाउनलोड करें। अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें ध्यान से पढ़ें। यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक आवेदन पत्र भरा है तो उसके प्रवेश पत्र को रोक दिया जाएगा।
 - ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें –

चरण 1 – अपना या अपने अभिभावक का यूनिक ई-मेल पता और मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन करें।

चरण 2 – ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और सिस्टम द्वारा भेजी गई आवेदन संख्या को दर्ज करें।

चरण 3 – जेपीसी/जेपीईजी प्रारूप में अभ्यर्थी का फोटोग्राफ (10 केबी से 200 केबी) और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर (04 केबी से 30 केबी) की स्कैन की गई छवियां अपलोड करें। यदि किसी कारणवश बाएं अंगूठे का उपयोग नहीं कर सकते पर, दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान लगाया जा सकता है। फोकस चेहरे पर होना चाहिए। (80 फीसदी सफेद बैकग्राउंड पर फेस कवरेज, कान स्पष्ट दिखे और बाएं हाथों के अंगूठे के निशान)



चरण 4 – डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई के माध्यम से एसबीआई/सिंडिकेट/एचडीएफसी/आईसीआईसीआई/पेटीएम पेमेंट गेटवे का उपयोग करके शुल्क का भुगतान करें और शुल्क भुगतान के प्रमाण को भविष्य के संदर्भों को ध्यान में रखकर सुरक्षित रखें। यदि शुल्क भुगतान के बाद पुष्टिकरण पृष्ठ उत्पन्न नहीं होता है तो लेनदेन रद्द कर दिया जाता है और राशि उम्मीदवार के खाते में वापस कर दी जाएगी। हालांकि पुष्टिकरण पृष्ठ उत्पन्न नहीं होने की स्थिति में उम्मीदवार को एकबार फिर से लेनदेन करना होगा।

- शुल्क के सफल प्रेषण के बाद पुष्टिकरण पृष्ठ की प्रतियों को डाउनलोड करके भविष्य के संदर्भों को ध्यान में रखकर प्रिंट करें और सुरक्षित रखें।
 - सभी चार चरणों को एक बार में या अलग-अलग समय में एक साथ किया जा सकता है।
- 7 उम्मीदवारों को नवीनतम सूचनाओं या अपडेट के लिए अपने ई-मेल की नियमित जांच तथा एनटीए के वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।
- 8 उम्मीदवार एनटीए द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि और पाली में निर्देशित परीक्षा केंद्र पर अपने खर्च से उपस्थित होंगे।
- 9 एडमिट कार्ड पर दिए गए परीक्षा केंद्र, तिथि और समय को बदलने के किसी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

.. निर्देश :-

- 1 ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम प्रविष्टि तब तक पूरी नहीं होगी जबतक कि चरण 3 एवं चरण 4 की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इस तरह के फॉर्म/पत्र अस्वीकृत होंगे और इस खाते पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- 2 उम्मीदवार द्वारा एकबार जमा कर दिए गए शुल्क की वापसी के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में एनटीए विचार नहीं करेगा।
- 3 नीट (यूजी) 2020 की पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, जिसमें स्कैन की गई छवियों को अपलोड करना, शुल्क का भुगतान और पुष्टिकरण पृष्ठ का प्रिंट शामिल है। इसलिए उम्मीदवारों को पोस्ट/फैक्स/हाथों-हाथ/ई-मेल के जरिए पुष्टिकरण पृष्ठ के साथ-साथ किसी भी तरह के दस्तावेज को एनटीए को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल/कक्ष में किसी भी प्रकार के उपकरण ज्यामिति या पैसिल बॉक्स, हैंडबैग, पर्स, किसी भी प्रकार के कागज/स्टेशनरी/पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित) खाद्य सामग्री और पानी (खुला या बंद) मोबाइल फोन/ईयर फोन/माइक्रोफोन/पेजर, कैल्कुलेटर, डॉक्यूपेन, स्लाइड रूल्स, लॉग टेबल, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, कैल्कुलेटर वाली घड़ियां, किसी भी धातु से बनी वस्तुएं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट/उपकरण आदि लाने की अनुमति नहीं है।



डायबिटीक छात्रों को शुगर टैबलेट/फलों (केला/सेब/संतरा जैसे) तथा पानी के पारदर्शी बोतल परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति होगी। हालांकि उन्हें चॉकलेट/कैंडी/सैंडविच आदि पैकड़ एवं खाद्य पदार्थों को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। विवरण के लिए अध्याय 8 एवं अध्याय 9 का संदर्भ लें।

वे अभ्यर्थी जो किसी अन्य (साइबर कैफे इत्यादि) की सहायता ले रहे हैं उन्हें यह सुनिश्चित होना चाहिए कि ऊपर उल्लिखित सभी चार चरण उनकी उपस्थिति में भरे गए हैं। गलत/भ्रम पैदा करने वाली जानकारी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को रद्द करेगी और या कानून के तहत आपराधिक कार्यवाही होगी।

अस्वीकरण

- 1 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सूचना विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ें तथा www.nta.ac.in, www.ntaneet.nic.in पर नीट (यूजी) 2020 से संबंधित दिए गए सभी निर्देशों को आवेदन पत्र भरने से पूर्व अच्छी तरह पढ़ें और फिर आवेदन करें।
- 2 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान दर्ज की गई सभी जानकारियां सही हैं।
- 3 आवेदन करने के दौरान उम्मीदवारों द्वारा उपलब्ध कराए गए नाम, पता का विवरण, श्रेणी, पीडब्लूडी की स्थिति, शैक्षणिक योग्यता विवरण, जन्मतिथि आदि जैसे ऑनलाइन जानकारियों को सही/अंतिम माना जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं में किसी भी तरह के बदलाव के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में एनटीए द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को गलत सूचनाएं देते हुए पाया जाएगा तब ऐसी स्थिति में उन्हें परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा।
- 4 ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी गलत जानकारी से, उम्मीदवार को होने वाली समस्याओं या असुविधाओं के लिए एनटीए किसी भी तरह से जवाबदेह नहीं होगा।
- 5 एनटीए किसी भी परिस्थिति में पंजीकरण प्रक्रिया के पूरा होने के बाद उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई किसी भी जानकारी को संपादित या संशोधित या परिवर्तित नहीं करेगा। सूचनाओं में किसी भी तरह के परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रणाली से सही विवरण भरने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

डेटा/आंकड़ों एवं सूचनाओं का उपयोग एनटीए प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास, विश्लेषण और अन्य उचित उद्देश्यों के लिए उम्मीदवार (इस संदर्भ में परीक्षार्थियों) द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं/विवरणों का उपयोग कर सकता है।



अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
पाठ – 1	परिचय एनटीए के बारे में राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद के बारे में	9
पाठ – 2	राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (यूजी) 2020 नीट यूजी के बारे में नीट यूजी 2020 में एनटीए की भूमिका प्रवेश परीक्षा की तिथि महत्वपूर्ण वेबसाइट्स कानूनी अधिकार क्षेत्र	10–13
पाठ – 3	सामान्य जानकारियाँ सामान्य निर्देश नीट परीक्षा यूजी 2020 का प्रारूप परीक्षा का तरीका परीक्षा की अवधि प्रश्न पत्र के माध्यम परीक्षा का पाठ्यक्रम	14–18
पाठ – 4	पात्रता एवं योग्यता / अहर्ता नीट (यूजी) 2020 में उपस्थित होने की योग्यता राज्यों / डीम्ड विवि / केंद्रीय विवि / ईएसआईसी और एएफएमसी के नियंत्रण में आने वालीसीटों के लिए योग्यता जिसमें दिल्ली विवि बीएचयू और एमयू / केंद्रीय पूल कोटा शामिल है 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए योग्यता अहर्ता एवं अहर्ता परीक्षा का कोड	19–12
पाठ – 5	प्रवेश एवं आरक्षण प्रवेश प्रक्रिया आरक्षण नीति	23–27
पाठ – 6	आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करना आवेदन पत्र भरने की तत्परता ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए सूची की जांच शुल्क भुगतान का विवरण	28–35
पाठ – 7	ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरणों का भरा जाना	36
पाठ – 8	वर्जित वस्तुएं और ड्रेस कोड वर्जित वस्तुएं ड्रेस कोड	37–38
पाठ – 9	माता-पिता / अभिभावकों के लिए सूचनाएं	39–40
पाठ – 10	प्रवेश पत्र	41



पाठ – 11	परीक्षा हॉल में पालन किए जाने वाले निर्देश	42–44
पाठ – 12	अनुचित तरीके/साधन, परीक्षा नियमों का उल्लंघन और व्यवहार	45–46
12•1	अनुचित व्यवहार के लिए सजा	
12•2	परिणाम का रद्द होना	
पाठ – 13	योग्यता—क्रम सूची एवं अर्हता मानदंड	47–49
13•1	योग्यता/अर्हता मानदंड	
13•2	टाई ब्रेकिंग के लिए उम्मीदवारों की अंतर से योग्यता	
13•3	15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा के तहत परामर्श के लिए योग्यता सूची	
13•4	15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा के अतिरिक्त अन्य सीटों की मेरिट सूची	
पाठ – 14	परामर्श के लिए निर्देश	50–51
14•1	15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा के तहत आने वाली सीटें और केंद्रीय संस्थानों की सभी सीटें जिसमें एएफएमसी, ईएसआई, दिल्ली विवि, बीएचयू और एमयू तथा डीम्ड विवि शामिल हैं। उनके लिए परामर्श	
14•2	15 फीसदी अखिल भारतीय सीटों के अलावा अन्य सीटों के लिए परामर्श एवं प्रवेश	
पाठ – 15	परीक्षा के बाद की गतिविधियां और परिणाम की घोषणा	52–53
15•1	ओएमआर सीट का प्रदर्शन तथा वेबसाइट पर प्रतिक्रियाएं	
15•2	चुनौती के लिए उत्तर पत्रक का प्रदर्शन	
15•3	परिणाम की घोषणा	
15•4	पुनर्मूल्यांकन	
15•5	अन्य संस्थानों द्वारा नीट(यूजी)2020 के परिणामों का उपयोग नियमों का <u>निराकरण/निराकरण</u> के नियम	
15•6		
पाठ – 16	सामान्य सेवा केंद्र/सुविधा केंद्र	54
पाठ – 17	शंका निवारण प्रणाली	

1	परिशिष्ट— 1	मूल पाठ्यक्रम	38–55
2	परिशिष्ट – 2	राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी) 2020 के लिए परीक्षा के लिए चयनित शहरों की राज्यवार सूची	56–58
3	परिशिष्ट – 3	जम्मू और कश्मीर से आने वाले उम्मीदवारों के लिए स्व घोषणा पत्र	59
4	परिशिष्ट – 4	राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालय और कार्यालय जहां परामर्श संबंधी जानकारी उपलब्ध हो सकती है।	60–68
5	परिशिष्ट – 5	राज्य कोड की सूची	69–70
6	परिशिष्ट – 6 •	व्यवसाय, योग्यता एवं आय के कोड की सूची	71
7	परिशिष्ट – 7	12वीं कक्षा के विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कोड की सूची	72–73



8	परिशिष्ट – 8	मेडिकल / डेंटल / आयुर्वेद / सिद्ध / यूनानी / होम्योपैथ कॉलेजों का विवरण (एमसीआई राजपत्र के अनुसार)	74
9	परिशिष्ट – 9 परिशिष्ट – 9 ए	दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिव्यांगता प्रमाण पत्र–प्राप्ति केंद्रों की सूची	75
10	परिशिष्ट – 10	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र	76
11	परिशिष्ट – 11	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी–एनसीएल) के प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र	77
12	परिशिष्ट – 12	दिव्यांगता श्रेणी वाले व्यक्तियों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप	78
13	परिशिष्ट – 13	अपनी ओर से लाए गए लिपिक की जवाबदेही का पत्र	79
14	परिशिष्ट – 14	एकल बालिका हेतु जवाबदेही का पत्र	82–89
15	परिशिष्ट – 15	अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा स्व घोषणा	
16	परिशिष्ट – 16	भारत का राजपत्र (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019)	
17	परिशिष्ट – 17	आवेदन पत्र की प्रतिकृति	

ध्यान देने योग्य/दर्ज करने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

- पिता / अभिभावक / माता का

एनटीए की एक लिंक–तटस्थ / लैंगिक–तटस्थता वाली समावेशी नीति है। एक लिंग–विशिष्ट शब्द, जिसका उपयोग एनटीए के किसी भी दस्तावेज या संचार में किया गया है, वह सभी लिंगों–पुरुष / महिला / ट्रांसजेंडर को संदर्भित करता है, जबतक कि स्पष्ट रूप से न कहा गया है।



अध्याय – 1

परिचय

१.१ राष्ट्रीय परीक्षण संस्था (एनटीए) के बारे में

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट/समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत राष्ट्रीय परीक्षण संस्था (एनटीए) की स्थापना एक स्वतंत्र, स्वायत्त एवं स्वपोषित प्रमुख संस्था के रूप में की है। यह आत्मनिर्भर एवं स्व-पोषित प्रमुख परीक्षण संस्थान के रूप में पंजीकृत है।

कुछ उद्देश्य, अन्य बातों के साथ शामिल है :—

- 1) नामांकन तथा भर्ती के उद्देश्य से उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करने के लिए प्रभावशाली, पारदर्शी तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करना।
- 2) मौजूदा ज्ञान-पद्धति की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने के उद्देश्य से शैक्षणिक, व्यावसायिक तथा परीक्षा-प्रणालियों पर शोध करना।
- 3) शिक्षा एवं व्यावसायिक विकास मानकों पर सूचना एवं शोध को प्रकाशित एवं प्रचारित करना।

एनटीए द्वारा अवर स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2020 आयोजित की जाएगी।



अध्याय – 2

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी 2020

2.1 राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (पूर्व स्नातक) 2020 के बारे में

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 को 08 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 14 में किसी भी अन्य कानून के तहत शासित सभी चिकित्सा संस्थानों सहित स्नातक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान और समान राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) आयोजित की जाएगी। इस प्रकार एम्स, नई दिल्ली, जेआईपीएमईआर और सभी एम्स जैसे एमबीबीएस पाठ्यक्रम• में प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के माध्यम से ही होगी। (एनएमसी – नेशनल मेडिकल काउंसिल – राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2019 परिशिष्ट – 16 पर)

• और अन्य एम्स जैसे अन्य संस्थानों

- (क) स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों की सभी सीटों पर प्रवेश (नीट) यूजी 2020 के माध्यम से किया जाएगा। निम्नलिखित सीटें विभिन्न कोटा के तहत उपलब्ध हैं।
- 1) अखिल भारतीय कोटा सीटें
 - 2) राज्य सरकार कोटा सीटें
 - 3) केंद्रीय संस्थान / विश्वविद्यालय / डीम्ड विश्वविद्यालय
 - 4) राज्य / प्रबंधन / अप्रवासी भारतीय कोटा सीटें / निजी विकित्सा महाविद्यालय / दन्त / आयुर्वेद / सिद्ध / यूनानी / होम्योपैथी महाविद्यालय या कोई अन्य निजी विश्वविद्यालय
 - 5) केंद्रीय पूल कोटा सीट
 - 6) निजी और गैर सहायता प्राप्त / सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक / गैर अल्पसंख्यक चिकित्सा महाविद्यालयों में भी सभी सीटें (जिनमें अप्रवासी भारतीय तथा प्रबंधन कोटा की सीटें भी शामिल हैं) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी 2020 में प्राप्त योग्यता के आधार पर ही भरी जाएंगी।
- (ख) जो भारतीय नागरिक / प्रवासी भारतीय विदेशी चिकित्सा / दन्त / आयुर्वेद / सिद्ध / यूनानी / होम्योपैथ महाविद्यालय के माध्यम से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें भी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी 2020 में उत्तीर्ण होना होगा।
- (ग) 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा सीटों और दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, एएमयू, जीआईपीएमईआर सहित सभी मानद विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सभी सीटों पर सफल उम्मीदवारों के लिए परामर्श देने का काम एमसीसी एवं डीजीएचएस के द्वारा किया जाएगा।



दूसरे राज्यों के नियंत्रण वाली सीटों/विश्वविद्यालय की सीटों/संस्थानों की सीटों पर प्रवेश के लिए परामर्श देने का कार्य संबंधित अधिकारियों के द्वारा अलग से जारी अधिसूचना के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

- (घ) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी 2020 के परिणाम का उपयोग केंद्रीय/राज्य सरकारों की अन्य संस्थाओं द्वारा प्रवेश हेतु उनके नियमों के अनुसार किया जा सकता है।
- (ङ) परामर्श के दौरान योग्य उम्मीदवारों की पात्रता मानदंड, स्वघोषणा, विभिन्न दस्तावेजों आदि को संबंधित अधिकारियों या चिकित्सा/दन्त/आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी/होम्योपैथ महाविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सत्यापित किया जाएगा। एनटीए आवेदन प्रक्रिया के क्रम में अपलोड की गई किसी भी प्रकार की जानकारी/दस्तावेजों की शुद्धता के प्रति जिम्मेदार नहीं है।

2.2 नीट यूजी में एनटीए की भूमिका

केंद्र सरकार ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों में नामांकन प्रवेश/अध्येतावृत्ति की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण संस्था की स्थापना की है। उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 06 जुलाई, 2018 को जारी किए गए अपने पत्र संख्या – F.NO. 19-5/2014-TS-I के माध्यम से एनटीए के लिए नीट (यूजी) 2020 के संचालन को अनिवार्य बना दिया है।

एनटीए की जिम्मेदारी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने, प्रवेश परीक्षा आयोजित करने और स्वारक्ष्य रोवा, रक्वारक्ष्य और परिवार कल्याण गंत्रालय के गहानिदेशालय, रक्वारक्ष्य गंत्रालय को अखिल भारतीय रैंक प्रदान करना है।

- (क) एनटीए की जिम्मेदारी प्रवेश परीक्षा का संचालन, परिणाम की घोषणा और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा सीट एवं डीम्ड विवि/केंद्रीय विवि/ईएसआईसी/एएफएमसी के साथ-साथ दिल्ली विवि, बीएचयू और एएमयू एम्स, जेआईपीएमईआर, पीजीआई की सभी सीटों के परामर्श के लिए अखिल भारतीय रैंक तथा राज्य स्तरीय रैंक उपलब्ध करवाना और इसके साथ ही राज्य परामर्श प्राधिकरणों एवं प्रवेश संस्थानों को भी परिणाम प्रदान करना।
- (ख) विदेशी मेडिकल/डेंटल इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस/बीडीएस करने के इच्छुक भारतीय नागरिक/प्रवासी नागरिक को नीट (यूजी) 2020 में अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता है।
- (ग) नीट (यूजी) 2020 के परिणाम का उपयोग केंद्रीय/राज्य सरकारों की अन्य संस्थाओं द्वारा प्रवेश के लिए उनके अपने नियमों के अनुसार किया जा सकता है।
- (घ) 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा सीटों तथा डीम्ड विवि/केंद्रीय विवि/ईएसआईसी/एएफएमसी के साथ-साथ दिल्ली विवि, बीएचयू और एएमयू एम्स, जेआईपीएमईआर, पीजीआई की सभी सीटों के लिए सफल उम्मीदवारों के परामर्श का संचालन एमसीसी/डीजीएचएस द्वारा किया जाएगा। अन्य राज्यों/विवि/संस्थानों के अधीन आने वाली सीटों पर नामांकन के लिए परामर्श संबंधित अधिकारियों द्वारा अलग से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार आयोजित की जाएगी।



(च) परामर्श के दौरान योग्य उम्मीदवारों के योग्यता मानदंड, स्व घोषणा एवं अन्य दस्तावेज संबंधित अधिकारियों और मेडिकल/डेंटल कॉलेजों द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार सत्यापित किए जाएंगे।

एमबीबीएस/बीडीएस/जेआईपीएमईआर/एम्स/पीजीआई की सभी सीटों पर नामांकन नीट (यूजी) 2020 के माध्यम से किया जाएगा। विभिन्न कोटा के तहत उपलब्ध सीटें निम्नलिखित हैं :—

- अखिल भारतीय कोटा सीट
- राज्य सरकार कोटा सीट
- केंद्रीय संस्थान/विवि/डीम्ड विवि
- निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों या किसी भी निजी विवि में राज्य/प्रबंधन/एनआरआई कोटा सीटें
- केंद्रीय पूल कोटा सीटें

2.3 नीट (यूजी) 2020 का आयोजन 03 मई 2020 (रविवार) को दोपहर 02:00 पीएम बजे से लेकर 05:00 पीएम बजे के बीच किया जाएगा। इस परीक्षा की अवधि 03 घंटे की होगी।

यदि परीक्षा की तिथि पर सार्वजनिक अवकाश भी घोषित हो जाता है, तब भी परीक्षा की समय—सारणी/कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

2.4 महत्वपूर्ण वेबसाइट

- 1 राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट www.ntaneet.nic.in है। यूजी परीक्षा संबंधी सभी जानकारियां सिर्फ इसी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।
- 2 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा सीटों, केंद्रीय संस्थानों और डीम्ड विवि के परामर्श से संबंधित जानकारियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट इस प्राकर है :— स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय – www.mohfw.gov.in तथा विकित्सा परामर्श समिति – www.mcc.nic.in
- 3 शेष सीटों के लिए कृपया संबंधित राज्यों/संस्थानों की वेबसाइट देखें।
- 4 सूचना विज्ञप्ति में निहित होने के बावजूद NTA/MoHFW/DGHS/NMC/DCI/MoA/CCIM/BoGCCH का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।



बीएमएस / बीएसएमएस / बीयूएमएस / बीएच पाठ्यक्रमों के लिए –

1 आयुष मंत्रालय – www.ayush.gov.in

2 आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति – www.aaccc.gov.in

2.5 कानूनी अधिकार क्षेत्र

परीक्षा आयोजित करने और सीटों के आवंटन संबंधी सभी विवाद केवल दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। एनटीए के वरिष्ठ निदेशक/निदेशक प्रशासन कानूनी व्यक्ति होंगे जिनके नाम पर एनटीए मुकदमा दर्ज कर सकता है।

ध्यान दें –

- 1) स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम चिकित्सा/दन्त/बीएमएस/बीएसएमएस/बीएचएमएस पाठ्यक्रमों को संदर्भित करता है।
- 2) विभिन्न संस्थानों/राज्य सरकारों से प्राप्त सलाह को परिशिष्ट – 16 में जानकारी के लिए जोड़ा जाता है। उम्मीदवारों को नवीनतम अद्यतन के लिए नियमित रूप से संबंधित संस्थानों/राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर जाने की सलाह दी जाती है।



अध्याय – 3

सामान्य सूचना/जानकारी

3.1 सामान्य निर्देश

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट (यूजी) 2020, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम – 1956 तथा दंत चिकित्सा अधिनियम – 1948 और उसमें समय–समय पर हुए संशोधनों के अनुसार संचालित की जाएगी।

- नीट (यूजी) 2020 में महज उपस्थित होना एवं अर्हता प्राप्त करना ही अवर रूनातक पाठ्यक्रम को नामांकन के लिए अभ्यर्थी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदान करने वाले किसी भी मान्यता प्राप्त मेडिकल संस्थानों में एमबीबीएस/बीडीएस सीटों के चयन एवं नामांकन प्रवेश मानदंडों, योग्यता, मेरिट सूची में मौजूद रैंक, मेडिकल फिटनेस और कुछ ऐसे मानदंड जो कि भारत सरकार, संबंधित राज्यों, विवि, संस्थानों एवं मेडिकल/डेंटल कॉलेजों द्वारा सुझावित हो सकते हैं, उनपर निर्धारित होता है।
- गलत और मनगढ़ंत जानकारी प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होने से रोक दिया जाएगा।
- अपूर्ण आवेदन और ऐसे आवेदन जो कि निर्देशों के अनुसार नहीं, उन्हें बिना किसी सूचना के प्रति अस्वीकार करने के प्रति एनटीए उत्तरदायी है।
- ऐसे मामलों में एक बार जमा किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। यह शुल्क न ही आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आगे ले जाया जाएगा/में प्रयुक्त होगा और न ही वापस किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने और शुल्क भेजने की अवधि आवरण/मुख्य पृष्ठ पर दी गई समय सीमा के अनुसार बंद हो जाएगी और समय विस्तार के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदन वापस नहीं लिए जा सकते। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बैंक खाते से पैसा कटना/शुल्क भुगतान का प्रमाण नहीं है। भुगतान के बाद शुल्क अद्यतन तथा पुष्टिकरण पृष्ठ को जारी होना चाहिए, वही इसका प्रमाण होगा।
- सूचना बुलेटिन/विज्ञप्ति में निर्देश, समय–समय पर एनटीए और अन्य अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर बदल सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अन्य अपडेट या जानकारी के लिए वेबसाइट www.ntaneet.nic.in को नियमित रूप से देखें।
- यदि अनजाने में ऐसे किसी उम्मीदवार को, जो नीट (यूजी) 2020 में उपस्थित होने के योग्य नहीं हैं, उसे रौल नंबर, एडमिट कार्ड जारी किए जाने के बाद भी परीक्षा में उपस्थित होने से रोकने का अधिकार एनटीए के पास सुरक्षित होगा।



- नीट (यूजी) 2020 के लिए उम्मीदवारों की पात्रता पूरी तरह से अनंतिम है और यह MoHFW/MCI/NMC/DCI/NTA/MCC/MoA/AACCC/CCIM/BoGCC H अन्य प्रवेश संस्थानों द्वारा लागू किए गए योग्यता मानदंडों की पूर्ति के अधीन है।
- किसी भी निर्देश की व्याख्या/शर्त/नियम/योग्यता के निर्धारण से संबंधित मानदंड/परीक्षा के संचालन/उम्मीदवारों के पंजीकरण/अन्य निहित सूचनाओं की अस्पष्टता के मामले में एनटीए की व्याख्या ही अंतिम और बाध्यकारी होगी।
- नीट (यूजी) 2020 परीक्षा के आयोजन की वीडियोग्राफी की जाएगी। उम्मीदवारों को अपना सिर ऊपर एवं सीधा रखना चाहिए और वीडियोग्राफी के दौरान कैमरे का सामना करना चाहिए ताकि उनकी उनकी पहचान स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो सके। अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी के लिए सहमत होना चाहिए।

3•2 नीट (यूजी) 2020 की रूपरेखा –

विषय	प्रश्नों के प्रकार	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अंक
भौतिकी	बहुवैकल्पिक प्रश्न / चार विकल्पों में जिनमें एक सही उत्तर / बेहतरीन विकल्प	02:00 पीएम से 05:00 पीएम तक	45	180
रसायन शास्त्र			45	180
			90	360
कुल			180	720

.. महत्वपूर्ण निर्देश

- 1) प्रत्येक प्रश्न 04 अंक के हैं।
- 2) प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 04 अंक मिलेंगे।
- 3) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 अंक कुल स्कोर से काट लिए जाएगा।
- 4) प्रश्न का उत्तर देने के लिए उम्मीदवार को दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करने की आवश्यकता है।
- 5) हालांकि उत्तर पत्र की चुनौती प्रक्रिया के बाद यदि एक से अधिक विकल्प सही पाए जाते हैं तब चिह्नित किए गए एक से अधिक सही विकल्प को चार (+ 04) अंक दिए जाएंगे। चिह्नित किए गए किसी भी गलत विकल्प के लिए माइनस एक (- 01) अंक दिया जाएगा। अनुत्तिरत/अनछुए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई खास प्रश्न उम्मीदवारों के द्वारा नजरअंदाज किया गया है तो सभी उम्मीदवारों को चार (04) अंक दिए जाएंगे, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उम्मीदवार ने प्रयास किया है या नहीं।



3.3 परीक्षा की पद्धति/तरीका –

नीट (यूजी) 2020 एक पेन और पेपर आधारित परीक्षण है, जिसका उत्तर बॉल प्वाइंट पेन का उपयोग करके विशेष रूप से डिजाइन की गई मशीन ग्रेडेबल शीट पर दिया जाना है।

3.4 परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी।

3.5 प्रश्नपत्र का माध्यम –

1 उम्मीदवार निम्नलिखित 11 भाषाओं में से किसी एक में प्रश्न पत्र चुन सकते हैं।

हिन्दी
अंग्रेजी
असमिया
बंगाली
गुजराती
कन्नड़
मराठी
उड़िया
तमिल
तेलुगू
उर्दू

- 2 आवेदन पत्र भरते समय प्रश्न पत्र के माध्यम का विकल्प सावधानी से चुना जाना चाहिए। एक बार चुने गए विकल्प को बाद में नहीं बदला जा सकता है।
- 3 अंग्रेजी का चयन करने वाले उम्मीदवार को केवल अंग्रेजी में ही टेस्ट बुकलेट प्रदान किया जाएगा।
- 4 हिन्दी के इच्छुक उम्मीदवारों को अंग्रेजी और हिन्दी में द्विभाषी टेस्ट बुकलेट प्रदान किया जाएगा।
- 5 क्षेत्रीय भाषाओं का चयन करने वाले उम्मीदवारों को चयनित क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी में द्विभाषी टेस्ट बुकलेट प्रदान किया जाएगा।
- 6 अनुवाद में होने वाली अस्पष्टता की स्थिति में प्रश्न पत्र के अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।



7 क्षेत्रीय भाषाओं का विकल्प केवल निम्नलिखित तालिका के अनुसार उपलब्ध होगा।

क्र. सं.	प्रश्न पत्र का माध्यम	परीक्षा केंद्र
1	अंग्रेजी	सभी परीक्षा केंद्र
2	हिन्दी	सभी परीक्षा केंद्र
3	अंग्रेजी और असमिया	आसाम के परीक्षा केंद्र
4	अंग्रेजी और बंगाली	बंगाल और त्रिपुरा के परीक्षा केंद्र
5	अंग्रेजी और गुजराती	गुजरात, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली के परीक्षा केंद्र
6	अंग्रेजी और कन्नड़	कर्नाटक के परीक्षा केंद्र
7	अंग्रेजी और मराठी	महाराष्ट्र के परीक्षा केंद्र
8	अंग्रेजी और उड़िया	ओडिशा के परीक्षा केंद्र
9	अंग्रेजी और तमिल	तमिलनाडू के परीक्षा केंद्र
10	अंग्रेजी और तेलुगू	आंध्र प्रदेश के परीक्षा केंद्र
11	अंग्रेजी और उर्दू	सभी परीक्षा केंद्र

(घ) नीट (यूजी) 2020 में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार परीक्षा के माध्यम के बावजूद, अखिल भारतीय कोटा एवं राज्य सरकारों/संस्थानों के तहत आने वाले कोटों के लिए उनके योग्यता मानदंडों के अनुसार योग्य होंगे।

3.6 परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

परीक्षा के प्रश्नपत्र, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित एक सामान्य पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। यह www.mciindia.org पर भी उपलब्ध है। कृपया विवरण के लिए परिशिष्ट – 1 देखें।

3.7 नीट (यूजी) 2020 परीक्षा के लिए केंद्र / शहर

- (1) परिशिष्ट 2 में उन शहरों की सूची उनके शहर कोड के साथ दी गई है जहां नीट (यूजी) 2020 का आयोजन किया जाएगा।
- (2) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान उम्मीदवार को अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर क्रम से अपनी पसंद के चार सुविधाजनक शहरों एवं केंद्रों को परिशिष्ट 2 से कोड सहित चयन करके भरना चाहिए।



- (3) उम्मीदवार अपनी सुविधा के लिए अपने शहर के कोड या अपने राज्य के केवल पड़ोसी शहर के कोड का चयन कर सकते हैं, दूर के किसी दूसरे राज्य के शहर को नहीं। इनटीए उम्मीदवार द्वारा शहरों के कोड संबंधित गलत चुनाव से उत्पन्न होने वाली किसी भी असुविधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (4) यदि किसी शहर के चयनकर्ता उम्मीदवारों की संख्या एक निश्चित न्यूनतम से कम है तो इनटीए उस शहर में कोई भी केंद्र आवंटित नहीं करने का अधिकार रखता है।
- (5) यदि क्षेत्रीय भाषा (अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा) के आधार पर केंद्र के रूप में एक शहर का चयन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक निश्चित न्यूनतम से कम है तब ऐसी स्थिति में परीक्षा के लिए उम्मीदवारों द्वारा चयन किए गए शहर के बदले में इनटीए दूसरे शहर के केंद्र को आवंटित कर सकता है।
- (6) हालांकि हर संभव यह प्रयास किया जाएगा कि उम्मीदवार द्वारा चयनित शहरों में ही एक में केंद्र आवंटित किया जाए। इनटीए उम्मीदवारों की पसंद के अलावा विशेष परिस्थिति में अन्य शहर में केंद्र के आवंटन का अधिकार रखना चाहता है।
- (7) केंद्रों का आवंटन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भी इंसानी/मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा।

निर्देश /ध्यातव्य – इनटीए द्वारा केंद्र का आवंटन करते समय दिव्यांग उम्मीदवारों के साथ ही साथ अन्य उम्मीदवारों की सुविधाओं का भी हर संभव प्रयास किया जाएगा।



अध्याय – 4

योग्यता एवं अर्हताएं

4.1 नीट (यूजी) 2020 में उपस्थित होने की योग्यता –

नीट (यूजी) 2020 में उपस्थित होने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 और दंत चिकित्सा अधिनियम 1948 की शर्तों को 2018 में संशोधित किया गया है।

संबंधित विनियमों के अनुसार पात्रता निम्नानुसार है –

- (क) उम्मीदवार ने नामांकन के समय 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या MBBS/BDS कोर्स में नामांकन के पहले वर्ष 31 दिसंबर से पहले पूरी कर लेगा।
- (ख) नीट(यूजी) की अधिकतम उम्र सीमा परीक्षा की तारीख तक 25 वर्ष होनी चाहिए। इसमें एससी/एसटी/ओबीसी–एनसीएल श्रेणी तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 5 साल की छूट है।

एक याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष दिनांक 22/01/2018 को एमसीआई के स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) 2017 की धारा 4 (1 बी) के अधिनियम के तहत नीट(यूजी) के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई 25 साल की अधिकतम उम्र सीमा को चुनौती दी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अधिकतम उम्र सीमा को बरकरार रखते हुए याचिका/चुनौती को खारिज कर दी गई।

उक्त याचिकाकर्ता ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष SLP NO. – 14320 दायर किया था, जिसमें माननीय शीर्ष न्यायालय ने 29/11/2018 को एक अंतरिम निर्देश जारी करते हुए 25 साल और उससे अधिक की आयु वाले छात्रों को नीट(यूजी) 2019 में उपस्थित होने की अनुमति दी, बशर्ते कि उस परीक्षा में उपस्थित होने की उन्हें अनुमति दी जाती है और वे इस मामले के अंतिम परिणाम के अनुसार ही इस परीक्षा को लें। ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन के लिए एनटीए को एक सप्ताह के लिए अपने पोर्टल को खुला रखने का निर्देश दिया गया था।

तदनुसार, नीट(यूजी) की अंतिम तिथि 01 नवंबर से 08 नवंबर, 2018 तक बढ़ा दी गई थी। यह मामला अभी भी लंबित है और उक्त अंतरिम आदेश बरकरार है। इसके अनुसार ही आयु सीमा के संबंध में पात्रता शर्तों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

सामान्य (अनारक्षित)/सामान्य – ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए	31/12/2003 से पहले या तक जन्मे
एससी/एसटी/ओबीसी–एनसीएल श्रेणी तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए	

- (ग) विदेशी मेडिकल/डेंटल इंस्टीट्यूट से MBBS/BDS कोर्स करने के इच्छुक भारतीय नागरिक/प्रवासी भारतीय नागरिक के लिए भी नीट–यूजी के तहत अर्हता प्राप्त करना आवश्यक होगा।



(MoHFW के दिनांक 17/10/2018 के पत्र क्रमांक V.11011/14/2018-MEC/MEP के अनुसार)

4•2 दिल्ली विवि, बीएचयू और एएमयू/केंद्रीय पूल कोटा, AIIMS/JIPMER/PGI सहित राज्यों/डीम्ड विवि/केंद्रीय विवि के धीन आने वाली सीटों के लिए पात्रता।

- (क) भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के व्यक्ति तथा विदेशी नागरिक, मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश परिस्थितिनुसार संबंधित राज्य सरकारों, संस्थानों तथा भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन हैं।
- (ख) विदेशी नागरिक संबंधित मेडिकल/डेंटल कॉलेजों राज्य सरकारों से अपनी पात्रता की पुष्टि कर सकते हैं।

4•3 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए पात्रता।

- (क) भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय, प्रवासी भारतीय नागरिक, भारतीय मूल के व्यक्ति तथा विदेशी नागरिक 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए पात्रता रखते हैं।

(ख) केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के उम्मीदवार

- केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख से आने वाले छात्र 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा सीटों के पात्र नहीं हैं क्योंकि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख ने अपनी स्थापना के बाद से ऑल इंडिया स्कीम से बाहर होना चुना था। यदि वे अपनी पात्रता दावा करते हैं तब उन्हें ऑनलाइन सेल्फ डिक्लरेशन प्रस्तुत करना होगा, जोकि रिकॉर्ड के लिए पुष्टि पृष्ठ के साथ स्वचलित रूप से जनरेट और प्रिंट हो जाएगा और काउंसलिंग (परामर्श) के समय उन्हें इसे प्रस्तुत करना होगा। स्वघोषणा (सेल्फ डिक्लरेशन) फॉर्म परिशिष्ट-3 में दिया गया है।
- .. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र को काउंसलिंग के समय सत्यापित किया जाएगा। स्व घोषणा यदि किसी भी समय गलत पाई गई तब ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों पर आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
- ... पात्रता शर्तों की पूर्ति के अनुसार ही केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के छात्र निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों या किसी भी निजी/डीम्ड विवि और आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज (**AFMC-PUNE**) **AIIMS/JIPMER/PGI** में प्रवेश के लिए **नीट(यूजी) 2020** की परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं।

4•4 योग्यता/अर्हता एवं योग्यता/अर्हता परीक्षा कोड

नीट (यूजी) 2020 की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा मानदंडों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित सारणी का उल्लेख करना होगा।

कोड – 1 एक उम्मीदवार जो अर्हक परीक्षा अर्थात् 12वीं, 2020 में उपस्थित हो रहा है और उसका परिणाम प्रतीक्षित है, वह परीक्षा के लिए आवेदन दे सकता है तथा उपस्थित हो सकता है लेकिन वह एमबीबीएस या बीडीएस में प्रवेश के लिए योग्य नहीं होगा। यदि काउंसलिंग के पहले दौर तक योग्यता परीक्षा आवश्यक प्रतीक्षत के साथ उत्तीर्ण नहीं करता/करती है।



या कोड – 2 उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा या भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा (ISCE) जो साल के अध्ययन अवधि के बाद 10+2 उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा के बराबर होती है। इस तरह के अध्ययन के अंतिम सालों में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, बायो टेक्नोलॉजी विषयों में व्यावहारिक परीक्षा शामिल है, तथा गणित या कोई अन्य वैकल्पिक विषय अंग्रेजी के साथ, जिसका स्तर राष्ट्रीय शिक्षा समिति द्वारा अनुशंसित 10+2 +3 शैक्षिक संरचना NCERT द्वारा निर्धारित अंग्रेजी के मुख्य पाठ्यक्रम से कम न हो।

जिन उम्मीदवारों ने 10+2 की परीक्षा ओपन स्कूल या निजी उम्मीदवार के रूप में उत्तीर्ण की है वे राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा 10+2 स्तर पर अतिरिक्त विषय के रूप में जीव विज्ञान/बायो टेक्नोलॉजी के अध्ययन की अनुमति नहीं होगी।

नोट :- जो इंटैलिक्स में प्रावधान है वह माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच तथा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में चुनौती का विषय है।

मान्यताप्राप्त ओपन स्कूल के उम्मीदवारों तथा जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी को अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराने वाले इन विनियमों के प्रावधान ने काफी अवरुद्ध किया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की विशेष अवकाश याचिकाएं तथा माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष अपील है इसलिए नीट- यूजी, 2020 के ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी, जिन्होंने योग्यता परीक्षा यानि 10+2 स्तर किसी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, राज्य मुक्त विद्यालय या किसी निजी अभ्यर्थी के रूप में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास की हो, या ऐसे अभ्यर्थी जिनका अतिरिक्त विषय जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी है उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दायर विशेष अवकाश याचिका/अपील के तहत अनुमति दी जाएगी।

या कोड – 3 भारतीय विवि/बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त जांच निकाय से विज्ञान में इंटरमीडियट/प्री डिग्री परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी (जिसमें व्यावहारिक परीक्षा शामिल होगी और अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय के रूप में होगा)

या कोड – 4 उच्च माध्यमिक परीक्षा या पूर्ण विवि या उसके समकक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्री-प्रोफेशनल/प्री मेडिकल परीक्षा जिनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी तथा अंग्रेजी होंगे।

प्री-प्रोफेशनल/प्री मेडिकल परीक्षा में व्यावहारिक परीक्षा के साथ अंग्रेजी भी एक अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल होगा।

कोड – 5 भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के तीन साल के स्नातक पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में इन विषयों में व्यावहारिक परीक्षा भी शामिल हैं, बशर्ते परीक्षा एक विश्वविद्यालयीय परीक्षा हो और अभ्यर्थी ने भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी और वह भी अंग्रेजी के साथ उस स्तर पर जो मुख्य पाठ्यक्रम से कम न हो, को उत्तीर्ण किया हो।

कोड – 6 भारतीय विश्वविद्यालय के विज्ञान स्नातक परीक्षा ने प्रावधान किया है कि विद्यार्थी ने भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी इन विषयों में से कम से कम किन्हीं दो



विषयों में उत्तीर्ण किया हो साथ ही पूर्ववर्ती अर्हता परीक्षा भौतिकी, रसायन शास्त्र, जी व विज्ञान और अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण किया हो।

कोड – 7 कोई भी अन्य परीक्षा (पिछले 02 वर्षों की बारहवीं की पढ़ाई जिनमें भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी और इन विषयों की व्यावहारिक परीक्षा भी शामिल हो) को भारतीय विवि/बोर्ड की इंटरमीडियट विज्ञान परीक्षा के समतुल्य पाया जाता है जिसमें भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी जिनमें इन विषयों की व्यावहारिक परीक्षा भी शामिल हों और वह भी अंग्रेजी के साथ।

यह भी कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अवर स्नातक 2020 के लिए पात्रता हेतु उम्मीदवार को भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी एवं अंग्रेजी प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए और भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान तीनों विषयों को मिलाकर न्यूनतम 50 फीसदी अंक होना ही चाहिए जैसा कि भारतीय केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 की अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के विनियमन 2 में 2018 संशोधित, स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमन, 1997 में विनियमन 4 के खंड 2, 2018 में संशोधन और हॉम्योपथी – स्नातक पाठ्यक्रम विनियमन, 1983 के विनियमन 4 के उप विनियमन 1 संशोधन के रूप में 2018 में संशोधन किया गया है। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अवर स्नातक 2020 के योग्यता सूची में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलना चाहिए था।

अनारक्षित और सामान्य अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 50 फीसदी अंकों के बजाय अनुसूचित जाति और जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के संबंध में योग्यता परीक्षा में एक साथ लिए गए भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में प्राप्त 40 फीसदी होंगे। एनएमसी, सीरीआईएम और बीओजीसीसीएच के अनुसार शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों के संबंध में भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में योग्यता परीक्षा में न्यूनतम अंक 50 फीसदी के बजाए 45 फीसदी होंगे।

इसके अतिरिक्त जिन छात्रों ने विदेशों में शिक्षा ग्रहण की है भारत के चिकित्सा महाविद्यालयों में दाखिला/प्रवेश लेना चाहते हैं उन्हें बारहवीं कक्षा में 50 फीसदी अंकों के साथ भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना चाहिए और उसकी समरूपता या समकक्षता भारतीय विवि संघ द्वारा निर्धारित की जाएगी जो कि भारतीय विवि संघ, भारतीय विकित्सा परिषद और संबंधित विवि के नियमों के अनुसार होगी।

अगर कोई अन्यर्थी कूट संख्या 01 से 07 के अनुसार निर्धारित योग्यता के अंतर्गत नहीं आता है तो उसे पात्रता निर्धारित करने के लिए पूरा विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

ध्यान दें –

- प्री-मेडिकल कोर्स या तो मेडिकल कॉलेज या साइंस कॉलेज में आयोजित किया जा सकता है।
- अंडरग्रैजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए गणित में प्राप्त अंक को इलिजिबिलिटी के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है।
- जैसा कि कोड 07 में बताया गया है कि वे उम्मीदवार जिन्होंने विदेशी/अंतरराष्ट्रीय बोर्ड से अध्ययन किया है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा उत्तीर्ण की गई योग्यता मानक में हो।



अध्याय – 5

नामांकन एवं आरक्षण

5.1 नामांकन योजना

वर्तमान आरक्षण योजना के अनुसार नीट यूजी 2020 की एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और उक्त सूची के आधार पर ही उम्मीदवारों को अवर स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाएगा। एनटीए छात्रों काओल इंडिया रैंक जारी करेगा, जबकि दाखिला लेने वाले अधिकारी परामर्श हेतु आवेदन पत्रों की मांग करेंगे और उन्हीं के द्वारा ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। प्रत्येक श्रेणी में अवर स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला मेरिट लिस्ट नीट यूजी 2020 में ऑल इंडिया रैंक के आधार पर होगा।

15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा में प्रवेश एमसीआई/एनएमसी/डीसीआई के वैधानिक विनियमों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा डीजीएचएस के अंतर्गत एमसीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के प्रवाधानों के अनुसार होगा। इसी तरह 85 फीसदी राज्य कोर्ट में प्रवेश के लिए भी एमसीआई/एनएमसी/डीसीआई के वैधानिक विनियमों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा राज्य/संघ सरकार या इनके नामित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों और कानून के अनुसार होंगे।

- क) राज्य स्तरीय मेडिकल कॉलेज/विवि/संस्थान/निजी मेडिकल कॉलेज में दाखिला 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा के अतिरिक्त अन्य कोटे में दाखिला –
- 1) राज्य स्तरीय कोटे की सीटों पर दाखिला आरक्षण योजना एवं उस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में माने जाने वाले योग्यता मानदंड, जिसका लिखित सूचना समय–समय पर वहां से मिलती रहेगी, के आधार पर होगा।
 - 2) प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित सीटों की संख्या संबद्ध राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में प्रचलित नियमों के अनुसार होगी।
 - 3) निजी मेडिकल कॉलेजों ने अवर स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में दाखिला भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश की योजना तथा नियमों के अनुसार होगा।
- ख) एम्स/जेआईपीएमईआर/मानित विवि/केंद्रीय विवि/बीएचयू/एएमयू सहित ईएसआईसी एवं एएफएमएससी की सीटों पर दाखिला –
- 1) एम्स/जेआईपीएमईआर/मानित विवि/केंद्रीय विवि/बीएचयू/एएमयू में दाखिले डीजीएचएस/एमओए/एएसीसीसी के द्वारा कराए जाएंगे और आरक्षण योजना संबद्ध विवि के नियमों के अनुसार होगी। अभ्यर्थी मानित/केंद्रीय विवि/ईएसआईसी एवं एएफएमएससी में एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए एमसीसी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराएं एवं मानित विवि/केंद्रीय विवि/राष्ट्रीय संस्थानों में अवर स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एएसीसीसी की वेबसाइट पर पंजीकरण करवाएं।



- 2) एएफएमसी पुणे में प्रवेश, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अधीन होगा। नीट यूजी 2020 और/या एएफएमसी में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एएफएमसी में www.afmc.nic.in/www.afmcdg1d.gov.in पर आवेदन करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को एएफएमसी द्वारा आयोजित दूसरे चरण की स्क्रीनिंग में मौजूद होना होगा। सटीक विवरणों एवं आगे के सूचनसअसें के लिए एएफएमसी से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। परामर्श डीजीएचएस द्वारा आयोजित किया जाएगा।
- 3) डीम्ड विवि/केंद्रीय विवि/ईएसआईसी/मेडिकल कॉलेजों/एएफएमसी/बीएचयू/एएमयू में प्रवेश एमसीआई/डीसीआई के वैधानिक विनियमों, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णयों और डीजीएचएस के अंतर्गत आने वाले एमसीसी द्वारा सुझावित प्रक्रियाओं के अनुसार होगा।
- 4) इसके अलावा संबंधित INIs में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए सामान्य परामर्श डीजीएचएस द्वारा MCIs में बताई गई समय सारणी विनिययमों के अनुसार संचालित होगा।
- ग) ऐसे सभी संस्थानों में जहां काउंसलिंग MCC के द्वारा डीजीएचएस के अंतर्गत संचालित की जाती है। अभ्यर्थी एमसीसी के द्वारा प्रकाशित किए गए FAQs की सहायता आगे के चरणों में उपस्थित होने की अपनी योग्यता के निर्धारण करने के लिए कर सकेंगे, (जिसमें स्नातक मेडिकल शिक्षा, 1997 के विनिमयन परिशिष्ट – एफ के 5ए–4 के अनुसार काउंसलिंग के पिछले राउंड में सीटों के आवंटन की अपात्रता शामिल है) जो कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग का प्रावधान प्रदान करता है।
- घ) ऐसे सभी संस्थानों के लिए जहां काउंसलिंग राज्य अथवा केंद्र सरकार या उनके द्वारा नामित अधिकारियों के द्वारा होती है। अभ्यर्थी राज्य अथवा केंद्र सरकार या नामित पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए काउंसलिंग नोटिफिकेशन की सहायता आगे के चरणों में भाग लेने की अपनी योग्यता के निर्धारण के लिए कर सकेंगे (जिसमें स्नातक मेडिकल शिक्षा, 1997 के विनिमयन परिशिष्ट – एफ के 5ए–4 के अनुसार काउंसलिंग के पिछले राउंड में सीटों के आवंटन की अपात्रता शामिल है) जोकि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन काउंसलिंग में सीट ब्लॉकिंग का प्रावधान प्रदान करता है।

5•2 आरक्षण नीति

भारत सरकार की आरक्षण नीति नीट–यूजी परीक्षा पर लागू है। इसके अनुसार केंद्रीय विवि और ऐसे संस्थान जिन्हें विवि माना जाता है, उनमें 10 फीसदी सीट GWN-EWS (सामान्य-आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) के लिए आरक्षित, 15 फीसदी सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित, 7•5 फीसदी सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित तथा 27 फीसदी सीटें OBC-NCL श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा के तहत आने वाली सीटें स्टेट मेडिकल कॉलेजों/विवि/संस्थानों/निजी मेडिकल कॉलेजों के द्वारा भर दी जाती है तब संबंधित राज्य सरकारों की आरक्षण नीति का उपयोग किया जाएगा।



पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति

दिव्यांग अभ्यर्थियों को 14/05/2019 को संशोधित हुए स्नातक चिकित्सा शिक्षा 1997 के विनियमन के तहत प्रस्तावित मानदंडों सं संदर्भित चिकित्सा पाठ्यक्रमों में नामांकन के योग्य समझा जाएगा।

परिशिष्ट 10-1 "H-1" में 14/05/2019 को संशोधित हुआ स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमन, एमबीबीएस में विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत आने वाले 6 विशिष्ट विकलांगता वाले छात्रों के नामांकन से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
परिशिष्ट – 10 दिनांक 14/05/2019 के राजपत्रीय अधिसूचना "H-1" (कृपया परिशिष्ट 9 ब देखें)

विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत आने वाले 6 विशिष्ट विकलांगता वाले छात्रों के एमबीबीएस नामांकन से संबंधित दिशा-निर्देश 05/02/2019 के गजट के अनुसार तथा बीएमएस/बीएसएमएस/बीयूएमएस/ में दिनांक 18/06/2019 के गजट के अनुसार तथा बीएचएमएस में दिनांक 19/06/2019 के अनुसार होगा।

एम्स के लिए – विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत समानांतर और श्रेणी पर आधारित विकलांगता आरक्षण मेडिकल बोर्डऑफ इंस्टीट्यूट के निर्धारित मूल्यांकन के अधीन होगा।

निर्देश –

- 1 – 15 जून 2017 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए दिव्यांगजन के अधिकार, 2017 के अनुसार विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- 2 – 04 जनवरी 2018 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) द्वारा प्रकाशित किए गए दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016 (2016 के 49) के तहत शामिल व्यक्ति निर्दिष्ट विकलांगता की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य से दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किसी व्यक्ति में निर्दिष्ट विकलांगता की सीमा मूल्यांकन किया जाएगा।
- 3 – निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण की पात्रता कम से कम 40 फीसदी विकलांगता होनी चाहिए।(परिशिष्ट- IX-B)
- 4 – जो पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार 5% आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें 12 निर्दिष्ट केंद्रों (परिशिष्ट- IX A) में से एक में संलग्न प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, प्रारूप संलग्न (परिशिष्ट- IX) के अनुसार
- जो अभ्यर्थी इस श्रेणी के लिए स्वयं को पात्र मानते हैं, वे किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज / जिला अस्पताल / सरकारी अस्पताल में जांच करवा कर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर सकते हैं। गवर्नरमेंट मेडिकल कॉलेज / जिला अस्पताल / सरकारी अस्पताल अध्याय-VII के संदर्भ में विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2017 के तहत विकलांगता प्रमाणपत्र जारी करेगा। विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची के अनुसार इस तरह का विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत शामिल एक व्यक्ति में निर्दिष्ट विकलांगता की सीमा का आकलन करने के उद्देश्य से 4



जनवरी 2018 को दिशानिर्देश [विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग] दिव्यांगजन)] जारी किया गया और PwD कोटा के तहत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए किसी भी उम्मीदवार पर कोई अधिकार नहीं प्रदान करता है। पूर्वोक्त प्रमाण पत्र यह पता लगाना होगा कि क्या उम्मीदवार केवल PwD कोटा के तहत NEET-UG-2020 में उपस्थित होने के लिए NTA में आवेदन कर सकते हैं।

- इसके बाद, उम्मीदवारों को PwD श्रेणी के तहत चयन होने पर, विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा जारी एक विकलांगता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा, जिसने उम्मीदवार का स्नातक चिकित्सा शिक्षा, 1997 के अनुसार 14.05.2019 में संशोधन के तहत निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में मूल्यांकन किया होगा। इस प्रकार, यह प्रासंगिक है कि परिणाम की घोषणा के बाद उम्मीदवारों को विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे मेडिकल कॉर्स में प्रवेश के लिए सामान्य ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं या नहीं। अगर उम्मीदवारों को ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, 1997 (14.05.2019 को संशोधित) के नियमों के तहत निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में, विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अयोग्य पाया जाता है, तब वे सामान्य ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पंजीकरण नहीं कराएं या भाग नहीं ले और यह मेडिकल कॉलेज के किसी भी ऑनलाइन अनंतिम आवंटन में उम्मीदवार की ओर से धोखाधड़ी होगी। यह प्रासंगिक है कि शैक्षणिक और साथ ही विकलांगता प्रमाण पत्र सहित विभिन्न प्रमाणपत्रों का भौतिक सत्यापन केवल मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए रिपोर्टिंग पर है।
- और यह स्पष्ट करना है कि विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों को केवल मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए माना जाएगा और किसी भी अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज / जिला अस्पताल / सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- विकलांगता प्रमाणपत्र, 14.05.2019 को जारी किए गए ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, 1997 के नियमों के तहत निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में, चिकित्सा परामर्श समिति, DGHS द्वारा अपनी वेबसाइट w.r.t. पर अधिसूचित किया जा सकता है। ऑल इंडिया कोटा के उम्मीदवारों और मेडिकल संस्थानों के लिए इसके द्वारा आयोजित कॉमन काउंसलिंग जो MCC, DGHS द्वारा कॉमन काउंसलिंग के अधीन है।
- इसी तरह, राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों की नामित परामर्श प्राधिकारी स्नातक चिकित्सा शिक्षा, 1997 के तहत निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड का गठन करेंगे, जैसा कि 14-14-2019 को संशोधित किया गया है, और वेबसाइट पर अधिसूचना जारी करेंगे।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (आर) के तहत परिभाषित बैंचमार्क विकलांगता वाले किसी भी व्यक्ति को Scribe / Reader / Lab सहायक की सुविधा दी जाएगी, यदि उसकी / उसके द्वारा वांछित है तो गति सहित लेखन में सीमा है।

दृष्टिहीनता की श्रेणी में बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, लोकोमोटर विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित- बीए) और मस्तिष्क पक्षाधात, Scribe / Reader / प्रयोगशाला सहायक की सुविधा दी जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति द्वारा वांछित है।

बैंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के मामले में, Scribe / Reader / Lab सहायक के प्रावधान को इस बात के प्रमाण पत्र के उत्पादन की अनुमति दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति के



पास लिखने के लिए शारीरिक सीमा है, और उसके लिए परीक्षा लिखने के लिए Scribe आवश्यक है (परिशिष्ट-IX-C के प्रोफार्मा के अनुसार) और मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक एक सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान की ओर से परीक्षा लिखना आवश्यक है।

आदेश आगे उम्मीदवार को अपने स्वयं के Scribe / Reader के लिए चयन करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि परीक्षा लेने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक चरण नीचे मुंशी की योग्यता हो। अपने स्वयं के Scribe / Reader के लिए चयन करने वाले बैंच-मार्क डिसएबिलिटी वाले उम्मीदवार को (परिशिष्ट-IX-D के प्रोफार्मा के अनुसार) अपने स्वयं के मुंशी का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। जो उम्मीदवार अपने केंद्र से एक मुंशी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें एक दिन पहले केंद्र से संपर्क करना चाहिए।

ध्यान दें:

(i) Scribe को वैध सरकारी पहचान प्रमाण के साथ आने की जरूरत है जो कि फॉर्म में उल्लिखित है

(ii) Scribe को दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाने होंगे।

परीक्षा की अवधि के लिए प्रति घंटे बीस (20) मिनट प्रतिपूरक समय भी उम्मीदवारों को (जो Scribe / Reader / प्रयोगशाला सहायक की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं) दिया जाएगा।

सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण नीति का पालन प्रवेश संस्थानों द्वारा किया जाएगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश के समय विवरण देखें।

महत्वपूर्ण सूचना: NEET (UG) -2020Re के लिए NTA द्वारा निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।



अध्याय 6

आवेदन पत्र एवं शुल्क का भुगतान

6.1 आवेदन पत्र भरने की तैयारी –

कोई भी अभ्यर्थी नीट यूजी 2020 के लिए www.ntaneet.nic.in पर लॉगइन करके आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पत्र जमा करने से पहले निम्नलिखित तैयारी करें।

- ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी जाने वाली जानकारी जैसे कि पिता/माता और उम्मीदवार के नाम (सही वर्तनी के साथ) आधार कार्ड (अंतिम चार अंक)/कक्षा बारहवीं का क्रमांक (बोर्ड द्वारा जारी) मतदाता पहचान पत्र संख्या, पासपोर्ट संख्या, राशन कार्ड संख्या, बैंक खाता संख्या, अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र, जन्मतिथि, मोबाइल संख्या, ईमेल आईडी इत्यादि को पहले से तैयार करके रखा जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन के वास्तविक भरने से पहले (परिशिष्ट – 17) में दिए गए आवेदन पत्र की प्रतिकृति की जांच करें।
- उम्मीदवारों को नीचे दिए गए पहचान के विवरण में से किसी एक को प्रदान करने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों की श्रेणी	अनुमति योग्य पहचान पत्र
सभी राज्यों के भारतीय नागरिक	आधार कार्ड (अंतिम चार अंक)/कक्षा बारहवीं का क्रमांक (बोर्ड द्वारा जारी) मतदाता पहचान पत्र संख्या, पासपोर्ट संख्या, राशन कार्ड संख्या, बैंक खाता पासबुक (फोटो सहित) और अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र
एनआरआई	पासपोर्ट नंबर, आधार (अंतिम चार अंक)
विदेशी नागरिक / ओसीआई / पीआईओ	पासपोर्ट नंबर

6.2 ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने के लिए निर्देश –

- क) उम्मीदवार को आवेदन ऑनलाइन जमा करने से पहले परीक्षण में होने की योग्यता को सुनिश्चित करनी चाहिए।
- ख) उम्मीदवार को भविष्य के पत्राचार के लिए पिन कोड ई-मेल पता और मोबाइल नंबर (स्वयं या माता-पिता) के साथ पूरा पत्राचार का पता और स्थायी पता भरना चाहिए।



- ग) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी उनके अपने या उनके माता-पिता के हैं, क्योंकि एनटीए केवल दिए गए मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर ही एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से संपर्क करेगा।
- घ) उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोचिंग सेंटरों का पोस्टल पता, संपर्क नंबर / मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी न दें।
- ङ) उत्तीर्ण उम्मीदवारों को अर्हता परीक्षा के लिए दिए गए कॉलम में कोड 02 से 07 तक ही भरना चाहिए।
- च) 2020 में बारहवीं कक्षा में ही पढ़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी योग्यता कोड 01 ही चुनना चाहिए।
- छ) ऑनलाइन मोड में भरे गए आवेदन पत्र के अलावा कोई अन्य आवेदन पत्र स्वाकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को एनटीए को **कन्फर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन सबमिशन** भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- ज) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अभ्यर्थियों को 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा के तहत सीटों के लिए अध्याय 4 के पैरा बी में संकेत के अनुसार ऑनलाइन स्व घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

ध्यान दें –

- 1) ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए अनुरोध किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होंगे।
- 2) अधूरे आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।
- 3) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करता है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 4) यदि परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान कोई भी संदेह उत्पन्न होता है कि एक उम्मीदवार ने कई आवेदन पत्र भरे हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के बदले परीक्षा दे रहा है या संपूर्ण सत्य से युक्त जानकारी नहीं दी है या झूठा या नकली सूचना दी है तो ऐसे उम्मीदवार को उसकी पहचान का अतिरिक्त प्रमाण देने के लिए किसी भी समय कहा जा सकता है।
- 5) यदि परिणाम की घोषणा के बाद या किसी भी समय पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने **नकली** आवेदन पत्र जमा किए हैं या किसी भी प्रकार के प्रतिरूप या मनगढ़ंत तथ्यों को शामिल किया गया है तो ऐसे उम्मीदवार गंभीर दंड के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें उसे परीक्षा में होने से रोकना भी **दाखिल** है। ऐसे उम्मीदवार देश के संबंधित कानूनों के तहत उपयुक्त आपराधिक कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

नोट –

- फर्जी
 - तीन साल तक
- 6) ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पासवर्ड 15 मिनट के लिए ही वैध होंगे। इस अवधि के समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों को नए ओटीपी पाने के लिए **रीसेंड ओटीपी** लिंक पर क्लिक करना होगा।



चरण – 1 पंजीकरण पृष्ठ

पंजीकरण

एक अभ्यर्थी नीट यूजी 2020 के लिए आवेदन सिर्फ www.ntaneet.nic.in पर लॉगिन करके कर सकता है।

- 1) कैपिटल लेटर में अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम जैसा माध्यमिक विद्यालय परीक्षा बोर्ड/विवि प्रमाणपत्र में दिया गया है।
- 2) माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या समकक्ष बोर्ड/विवि प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि – दिन/महीना/साल प्रारूप के अनुसार हो।
- 3) पहचान के प्रकार –

उम्मीदवारों की श्रेणी	अनुमति योग्य पहचान पत्र
सभी राज्यों के भारतीय नागरिक	आधार कार्ड (अंतिम चार अंक) / कक्षा बारहवीं का क्रमांक (बोर्ड द्वारा जारी) मतदाता पहचान पत्र संख्या, पासपोर्ट संख्या, राशन कार्ड संख्या, बैंक खाता पासबुक (फोटो सहित) और अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र
एनआरआई	पासपोर्ट नंबर, आधार (अंतिम चार अंक)
विदेशी नागरिक/ओसीआई/पीआईओ	पासपोर्ट नंबर

- 4) मोबाइल नंबर तथा ई–मेल पता – उम्मीदवार सिर्फ अपना या अपने अभिभावक का मोबाइल नंबर एवं ई–मेल पता उपलब्ध कराएं।
- 5) आगे के पत्राचार के लिए अभ्यर्थी अपना पूरा पत्राचार का पता, पिनकोड सहित (स्थाई एवं पत्राचार का पता) दें। पिन कोड दोनों पते के लिए होना चाहिए, इस उद्देश्य से स्थान उपलब्ध कराया गया है।

चरण – 2 आवेदन पत्र पूरा भरें –

पूरा आवेदन पत्र भरें –

- 1) चरण 1 में दर्ज किए गए आवेदन विवरणों को मोबाइल नंबर और ईमेल पते को छोड़कर आवेदन पत्र के अंतिम समर्पण से पहले संपादित किया जा सकता है। जिसे चरण 1 के बाद नहीं बदला जा सकता है।



- 2) सामान्य श्रेणी, सामान्य अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग—नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणियां विकल्प के तहत झॉप डाउन सूची में उपलब्ध है कोई भी जाति प्रमाण पत्र नीट यूजी 2020 के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड नहीं करना है। जाति और समुदाय से संबंधित केंद्रीय/राज्य परामर्श प्राधिकरण द्वारा काउंसलिंग में सत्यापित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार की वेबसाइट www.ncbc.nic.in पर अन्य पिछड़ा वर्ग—नॉन क्रीमी लेयर की केंद्रीय सूची अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अंतर्गत उपलब्ध है इस प्राकर इस सूची में आने वाले उम्मीदवार श्रेणी कॉलम ओबीसी—एनसीएल का उल्लेख कर सकते हैं। राज्य सूची ओबीसी—एलसीएल उम्मीदवार जो ओबीसी—एनसीएल की केंद्रीय सूची में नहीं हैं।
 - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 17 जनवरी, 2019 के ओएम नंबर 20013/01/2018 बीसी दिनांकित 17/01/2019 और साथ ही पत्र संख्या 35-2/2019-टीएसआई दिनांक 21/01/2019, 01/02/2019, 04/02/2019 और 15/02/2019 को एमएचआरडी के उच्च शिक्षा विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय शैक्षिक संस्थान में प्रवेश हेतु।
- 3) राष्ट्रीयता – भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय, भारत के प्रवासी नागरिक, भारतीय मूल के नागरिक और विदेशी नागरिक नीट यूजी 2020 में भाग लेने के लिए योग्य हैं।
- 4) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश कोड – अभ्यर्थी को नीट यूजी 2020 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान परिशिष्ट 5 के अनुसार अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का कोड प्रस्तुत करना होगा।
- 5) पीडब्लूडी स्थिति – पीडब्लूडी का अर्थ है विकलांग व्यक्ति के अधिकारों के अनुसार बेंचमार्क डिसएबिलिटिज, पर्सन ऑफ राइट्स ऑफ डिसएबिलिटी एक्ट, 2016 के अनुसार और एमसीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिनांकित 13 मई, 2019 पीडब्लूडी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, पीडब्लूडी श्रेणी के तहत छंट यदि दावा किया जाए तो।
6. परीक्षा शहरों की पसंद: उम्मीदवार को NEET (UG) - 2020 की परीक्षा के लिए अपनी पसंद के किसी भी चार शहरों का चयन करना चाहिए - जो परिशिष्ट- II पर दिया गया है। केंद्र का आबंटन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है और इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है।
7. प्रश्न पत्र का माध्यम:
- अंग्रेजी के लिए चयन करने वाले उम्मीदवारों को केवल अंग्रेजी में टेस्ट बुकलेट प्रदान किया जाएगा।
 - हिंदी / क्षेत्रीय भाषा का चयन करने वाले उम्मीदवारों को द्विभाषी टेस्ट बुकलेट प्रदान किया जाएगा।



अर्थात् हिंदी / क्षेत्रीय भाषा में और अंग्रेजी में। किसी भी प्रश्न के अनुवाद में किसी अस्पष्टता के मामले में, इसके अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

8. **शैक्षणिक विवरण (X, XI & XII):** उम्मीदवार को X, XI & XII / योग्यता परीक्षा का पूरा शैक्षणिक विवरण भरना होगा। उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को योग्यता परीक्षा के लिए प्रदान किए गए कॉलम के खिलाफ कोड [०२ से ० ०७] भरना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार कोड संख्या 02 से 07 के अनुसार निर्धारित योग्यता के दायरे में नहीं आता है, तो उम्मीदवार को कॉलम 'अन्य' के तहत पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा। 2020 में बारहवीं कक्षा में आने वाले उम्मीदवारों को 01 के रूप में योग्यता कोड का चयन करना चाहिए।
9. **सिंगल गर्ल चाइल्ड:** यह विकल्प केवल तभी दिखाई देगा जब उम्मीदवार ने लिंग कॉलम में विकल्प "महिला" का चयन किया हो। आई या बहन के बिना परिवार में सिंगल गर्ल चाइल्ड इस विकल्प को चुन सकती है। परिवार की जुड़वां बेटी / भातृ बेटी भी इस विकल्प का चयन कर सकती है। (परिशिष्ट- XII)
10. **अल्पसंख्यक:** यदि लागू हो, तो उम्मीदवार को अल्पसंख्यक समुदाय में से किसी एक का चयन करना चाहिए। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी जिसे अल्पसंख्यक अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के तहत अधिसूचित किया गया है। अल्पसंख्यक छात्रों के समर्थन के लिए उम्मीदवार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की स्वयं घोषणा (परिशिष्ट) - XIII।
11. **पिता / अभिभावक / माता का विवरण:** कब्जे की संहिता, आय और योग्यता इस कॉलम के तहत भरी जा सकती है। ध्यान दें:
 - एक उम्मीदवार द्वारा केवल एक आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
 - एक बार अंत में जमा करने के बाद, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के विवरण केवल सुधार विंडो के दौरान बदले जा सकते हैं। उसके बाद इस संबंध में कोई संचार नहीं किया जाएगा।
 - पंजीकरण केवल तभी पूर्ण माना जाएगा जब शुल्क सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया गया हो, अन्यथा फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा।
 - उम्मीदवारों को एनटीए कार्यालय में पुष्टि पृष्ठ की हार्ड कॉपी भेजने / जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पुष्टि पृष्ठ की हार्ड कॉपी और भविष्य की आवश्यकता के लिए जमा किए गए शुल्क का प्रमाण रखें।
 - उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बैंक खाते से शुल्क में कटौती केवल शुल्क भुगतान का प्रमाण नहीं है। भुगतान को अद्यतन शुल्क द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और पुष्टिकरण पृष्ठ की पीढ़ी आवेदन फॉर्म के सफल जमा करने का प्रमाण है।



चरण – 3 स्कैनड इमेज अपलोड करना –

अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ – अपलोड किए जाएं

- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (साइज 10 kb से 200 kb)
- पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ (4"x 6") (साइज 50 kb से 300 kb)
- तस्वीरों को 01 / 09 को या उसके बाद लिया जाना चाहिए और फोटो लेने की तारीख के साथ अभ्यर्थी के नाम के बारे में स्पष्ट रूप से संकेत दिया जाना चाहिए। फोटोग्राफ टोपी या काले चश्मे के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। (सफेद पृष्ठभूमि पर 80 फीसदी चेहरा कवरेज, कान स्पष्ट दिखना चाहिए)
- चश्मे का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब नियमित तौर पर उपयोग किया जा रहा है।
- पॉलरॉयड और कम्प्यूटर जनित तस्वीरें स्वाकार्य नहीं हैं।
- इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले या अस्पष्ट तस्वीरों के साथ आवेदन अस्वीकार किए जाएंगे।
- तस्वीरों के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- तस्वीरों को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे सफेद पृष्ठभूमि वाले 6 से 8 पासपोर्ट साइज और 4 से 6 पोटकार्ड साइज के (4"x 6") रंगीन फोटोग्राफ रखें।
- अभ्यर्थी ध्यान दें कि यदि अपलोड की गई तरवीर गङ्गी हुई है या कम्प्यूटर से बनाई हुई है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा औश्र इसे अनफेयर मीन्स माना जाएगा तथा इसके लिए अभ्यर्थी पर कार्रवाई की जा सकती है।
- यदि किसी और की तस्वीर अपलोड की गई है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस मामले को UFM का उपयोग करने के रूप में माना जाएगा। देश के कानून के अनुसार आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

निर्देश –

एक ही पासपोर्ट साइज और पोस्टकार्ड साइज का तस्वीर का उपयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने के लिए तथा परीक्षा केंद्र के उपस्थिति पत्रक परामर्श नामांकन के लिए प्रयोग की जाएगी। अभ्यर्थियों को सफेद पृष्ठभूमि वाले 6 से 8 पासपोर्ट साइज और 4 से 6 पोटकार्ड साइज के (4"x 6") रंगीन फोटोग्राफ रखने के लिए याद दिलाया जाता है।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर अपलोड किया जाना है

- अभ्यर्थी द्वारा ब्लैक इंक पेन से सफेद कागज पर रनिंग राइटिंग में (कैपिटल लेटर में नहीं) अपना पूरा हस्ताक्षर करना चाहिए तथा अपलोड करने के लिए स्कैन करना चाहिए।
- फाइल का आकार 4केबी से 30 केबी के बीच होना चाहिए।
- अहस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन पत्र खारिज कर दिए जाएंगे।



- यदि किसी और के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हैं तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस मामले में UFM का उपयोग करने के रूप में माना जाएगा। देश के कानून के अनुसार आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

उम्मीदवार के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड किया जाना है

- अभ्यर्थी को नीली स्याही से बाएं हाथ के अंगूठे का निशान सफेद कागज पर लगाना चाहिए और अपलोड करने के लिए स्कैन करना चाहिए। किसी कारणवश बाएं अंगूठे की अनुपलब्धता होने पर दाहिने हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- फाइल का आकार 10केबी से 50केबी के बीच होना चाहिए।
- इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन पत्र में बाएं हाथ के अंगूठे के निशान के अस्पष्ट होने पर आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा।

निर्देश –

अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की गई छवियां स्पष्ट औश्र उचित हों। बाएं अंगूठे के अनुपलब्धता पर दाहिने अंगूठे का इस्तेमाल किया जा सकता है।

उम्मीदवार का कक्षा 10 का पासिंग प्रमाणपत्र अपलोड किया जाना है

- अभ्यर्थी को अपलोड करने के लिए अपने कक्षा 10 के पासिंग प्रमाणपत्र को स्कैन करना चाहिए।
- फाइल का आकार 100 केबी से 400 केबी होना चाहिए।

चरण – 4 शुल्क का भुगतान और शुल्क के साथ आवेदन पत्र की प्राप्ति की स्थिति –

ऑनलाइन आवेदन पत्र के चरण 3 को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी निम्नलिखित विकल्पों को चुनकर परीक्षा शुल्क भेज सकते हैं।

- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग/यूपीआई मोड ऑफ पेमेंट तथा सर्विस प्रोवाइडर चुनें (सर्विस/प्रोसेसिंग शुल्क प्रति ट्रांजेक्शन और जीएसटी 18 फीसदी लागू है) का भुगतान अभ्यर्थियों द्वारा किया जाएगा और निर्देशानुसार चरण को पूरा करें।
- चरण 4 के पूरा होने के बाद, यानि कि एसबीआई/सिंडिकेट बैंक/एचडीएफसी बैंक/आईसीआईसीआई बैंक/पेटीएम जैसे सर्विस प्रोवाइडरों के डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए जाने के बाद पुष्टिकरण पृष्ठ को प्रिंट करें।
- यदि किसी अभ्यर्थी चौथे चरण तक के सभी चरणों को पूरा करने में विफल रहता है तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम प्रविष्टि अपूर्ण और असफल रहेगी।
- पुष्टिकरण पृष्ठ की प्राप्ति आवेदन पत्र के अंतिम रूप से जमा होने की पुष्टि करता है। यदि पुष्टिकरण पृष्ठ उत्पन्ना नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा नहीं किया गया है।



निर्देश –

यदि शुल्क भुगतान की स्थिति ठीक नहीं है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सलाह दी जाती है।

यदि शुल्क भुगतान डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाता है और स्थिति ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि लेनदेन रद्द हो गया है। इसलिए ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को एक बार फिर से शुल्क का भुगतान करना होगा और शुल्क की OK वाली स्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

रद्द किए गए लेनदेन की राशि, स्वचालित रूप से आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख या शुल्क निपटान की प्रक्रिया के बाद संबंधित डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड को वापस कर दिया जाएगा।

6.3 ऑनलाइन आवेदनपत्र भरने के लिए जांच सूची –

अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है।

- 1) क्या वे टेस्ट के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
- 2) कि उन्होंने अपने लिंग अर्थात् पुरुष/महिला/ट्रांसजेडर को सही तरीके से चुना है।
- 3) कि उन्होंने अपनी श्रेणी अर्थात् सामान्य/सामान्य-ईडब्लूएस/ओबीसी-एनसीएल/एससी/एसटी को सही तरीके से चुना है।
- 4) कि दिव्यांग अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संबंधित कॉलम को सही तरीके से भरा है। केवल दिव्यांग व्यक्ति ही इस कॉलम को भरेंगे, अन्य उसे खाली छोड़ देंगे।
- 5) क्या उन्होंने अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र (पुष्टिकरण पृष्ठ) का एक प्रिंटआउट रखा है।

6.4 – शुल्क भुगतान का विवरण

अभ्यर्थीयों द्वारा जाने शुल्क	सामान्य	1500/-
	सामान्य/सामान्य-ईडब्लूएस/ओबीसी-एनसीएल-	1400/-
	एससी/एसटी/पीडब्लूडी/ट्रांसजेडर	800/-
	अभ्यर्थी द्वारा प्रयोज्य (जो देय हो) प्रसंस्करण शुल्क और वस्तु एवं सेवा शुल्क का भुगतान किया जाना है।	



अध्याय – 7

ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे जाने वाले विवरण

उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण भरना चाहिए

- राष्ट्रीयता
- स्व घोषणा (परिशिष्ट – 3)
- श्रेणी लिंग
- स्थाई पता एवं पत्राचार का पता
- पासपोर्ट नम्बर/राशन कार्ड नम्बर/बैंक अकाउंट नम्बर/कोई अन्य वैध सरकारी आईडी नम्बर/आधार नम्बर (अंतिम 4 अंक) कक्षा 12 में बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्रमांक/चुनाव कार्ड/EPIC No.)
- जन्म का राज्य/जिला
- पिता का/अभिभावक का/माता का व्यवसाय (परिशिष्ट – 6)
- पिता की/अभिभावक की/माता की शैक्षणिक योग्यता (परिशिष्ट – 6)
- प्रश्न पत्र का माध्यम
- कक्षा बारहवीं/समकक्ष/उत्तीर्ण/उपस्थित होने का वर्ष
- कक्षा 10/समकक्ष और कक्षा 12/समकक्ष में अंकों का प्रतिशत/ग्रेड
- कक्षा 10, 11, 12 का राज्य/जिला
- धर्म
- अल्पसंख्यक स्थिति
- MCI के दिशानिर्देश के अनुसार विकलांगता की स्थिति
- कक्षा 12/समकक्ष के संस्थान के प्रकार
- ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की संबद्धता
- नीट–यूजी की तैयारी का तरीका
- राज्य जिससे आवेदक की संबद्धता है (परिशिष्ट – 5)
- अर्हक परीक्षा कोड (खंड 4 के अनुभाग 4•4 से संबंधित)
- विद्यालय शिक्षा बोर्ड (परिशिष्ट – 7)
- परीक्षा केंद्र/शहर का चयन (परिशिष्ट – 2)



अध्याय – 8

वर्जित वस्तुएं और ड्रेस कोड

8.1 वर्जित वस्तुएं

किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के अंदर निम्नलिखित वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले उम्मीदवारों की अत्यधिक संवेदनशील मेटल डिटेक्टरों की सहायता से व्यापक और अनिवार्य तौर पर तलाशी ली जाएगी।

- (क) पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पैंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैल्कूलेटर, पेन, स्केल, रादटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर इत्यादि जैसा कोई भी स्टेशनरी आइटम।
- (ख) मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयर फोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि जैसे किसी भी प्रकार का संचार उपकरण।
- (ग) वॉलेट, हैंडबैग, गौगल्ट्स, बेल्ट, कैप आदि जैसे अन्य सामान
- (घ) कोई भी घड़ी/कलाई घड़ी, कंगन, कैमरा आदि
- (ङ) कोई भी आभूषण
- (च) कोई भी खाद्य पदार्थ बंद या खुला, पानी का बोतल इत्यादि
- (छ) माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस इत्यादि जैसे छिपाकर रखे जा सकने वाले अनुचित संचार उपकरण या साधन जिनका उपयोग किया जा सकता है।

निर्देश –

ऐसे उम्मीदवार, विशेष तौर पर वे जो कड़ा और कृपाण इत्यादि जैसी धातु की वस्तुओं को अपने साथ ले जा रहे हैं, उन्हें अपने संबंधित परीक्षा केंद्रों पर गेट बंद होने से डेढ़ घंटा पहले समय पर तलाशी/जांच तथा वक्त पर परीक्षा कक्ष में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए पहुंचना चाहिए।

यदि परीक्षा केंद्र में स्क्रीनिंग की जाती है और किसी भी उम्मीदवार को कड़ा और कृपाण जैसे संदिग्ध उपकरणों को, बिना किसी सूचना के अंदर ले जाते हुए पाया जाता है तब ऐसी स्थिति में उसे परीक्षा हॉल में नहीं ले जाने के लिए कहा जा सकता है (जैसा कि दिनांक 03/05/2018 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश द्वारा निर्देशित किया गया है।)

उम्मीदवारों से संबंधित कोई भी वस्तु/चीज रखने के लिए केंद्रों पर कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।

यदि किसी उम्मीदवार के पास किसी भी तरह की वर्जित वस्तु पाई जाती है तो इसे वर्जित वस्तुओं के उपयोग एवं गलत कार्य माना जाएगा और इसके लिए उस उम्मीदवार के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।



8.2 ड्रेस कोड

उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे नीट–यूजी 2020 के लिए उपस्थित हों तब उस वक्त वे निम्नलिखित ड्रेस कोड का पालन करें।

- (क) आधी बांह/आधे बाजू वाले हल्के कपड़े, लंबी बांह वाले कपड़ों की अनुमति नहीं है। हालांकि, यदि उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में परंपरागत/सांस्कृतिक पोशाक में आता है तो उन्हें रिपोर्टिंग टाइम से कम से कम एक घंटा पहले यानि दोपहर 12:30 बजे तक रिपोर्ट करना चाहिए ताकि बिना किसी असुविधा के परीक्षा की गरिमा/पवित्रता/महत्ता को बनाए रखते हुए उम्मीदवार की तलाशी के लिए योग्य समय मिल सकें।
- (ख) चप्पल, कम ऊंची ऐडी वाले सैंडिल की अनुमति नहीं है। जूतों की अनुमति नहीं है।
- (ग) ऐसी कोई भी विशेष परिस्थिति जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता (मेडिकल आदि कारणों से) तब ऐसी स्थिति में हमें (एडमिट कार्ड जारी होने से पूर्व एनटीए से विशेष अनुमति लेनी होगी)

यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार एनटीए द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। परीक्षा के निष्पक्ष संचालन में यह एनटीए की मदद करेगा।

निर्देश –

एनटीए परीक्षा आयोजित करने की गरिमा और निष्पक्षता में विश्वास रखता है। हालांकि यह महिला उम्मीदवारों की तलाशी की संवेदनशीलता को भी समझता है और इसके लिए परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक व्यापक दिशा–निर्देश भी जारी करेगा।



अध्याय – 9

माता–पिता/अभिभावकों के लिए सूचना/जानकारी

- 1• यह उम्मीद की जाती है कि माता–पिता या अभिभावक नीट–यूजी 2020 की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए घर से निकलते वक्त अपने वार्डों (बच्चों) का निम्नलिखित मुद्दों पर उचित मार्गदर्शन करेंगे।
- (क) उम्मीदवारों को दोपहर 01:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए उम्मीदवार अग्रिम रूप से यातायात, केंद्र का स्थान और मौसम की स्थिति जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए सही समय पर घर छोड़ देंगे।
- (ख) उम्मीदवार सभी निर्देशों का पालन करेंगे औश्र परीक्षा में अनुशासन बनाए रखेंगे।
- (ग) उम्मीदवार परीक्षा के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे।
- (घ) उम्मीदवार परीक्षा के दौरान किसी भी संदिग्ध गतिविधि का प्रदर्शन या उपयोग नहीं करेंगे।
- (ङ) यदि कोई उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार को अनुचित व्यवहार/साधन का उपयोग करते हुए देखे/पाए तो ऐसी स्थिति में उसे तुरंत ड्यूटी पर मौजूद पर्यवेक्षक को सूचित करना चाहिए।
- (च) उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अपने साथ सिर्फ निम्नलिखित चीजें लाएगा –
- पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाया हुआ अपना एडमिट कार्ड,
 - अटेंडेंस शीट पर चिपकाए जाने के लिए एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो/अपनी तस्वीर
 - वैध पहचान पत्र
 - सफेद बैकग्राउंड के साथ एक (4" 6") का रंगीन फोटोग्राफ, को एडमिट कार्ड वाले डाउनलोडेड प्रोफार्मा पर पेस्ट किया जाना चाहिए और केंद्र पर मौजूद परीक्षक को सौंप देना चाहिए।

निर्देश –

वैसे उम्मीदवार जो चिपकाए गए **निर्देशित** फोटोग्राफ वाला डाउनलोडेड प्रोफार्मा तथा एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर नहीं आए हैं उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा और वे अयोग्य घोषित हो जाएंगे।

- (छ) उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह की वर्जित वस्तुएं नहीं लाएगा।
- (ज) उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर मौजूद तलाशी में शामिल कर्मचारियों के साथ सहयोग करेंगे।
- (झ) उम्मीदवार अनिवार्य शारीरिक बाह्य तलाशी के लिए उचित समय पर पहले से आवंटित परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर रिपोर्ट करेंगे।



- (त) उम्मीदवार नीट–यूजी 2020 की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए ड्रेस कोड का पालन करेंगे। यदि उम्मीदवार ने पारंपरिक ड्रेस पहन रखा है तो ऐसी स्थिति में परीक्षा के दिन उसे दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट/अपनी उपस्थिति दर्ज करा देनी चाहिए।
- (ट) उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित किसी भी तरह के अपडेट के लिए अपने रजिस्टर्ड ई-मेल/एसएमएस को चेक करें और नियमित रूप से वेबसाइट पर जाएं और देखें।
- 2• यदि आपका वार्ड उपरोक्त में से किसी का भी उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उम्मीदवार (आपके वार्ड) को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और परीक्षा में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा।
- 3• यदि आपका वार्ड किसी भी अवांछित गतिविधि में संलग्न/शामिल पाया जाता है तब उसे नियमानुसार इस परीक्षा से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और एनटीए द्वारा उसे आपराधिक कार्रवाई और/या किसी भी अन्य कार्रवाई के जिम्मेदार माना जा सकता है।
- 4• यह सुनिश्चित करें कि आपका वार्ड परीक्षा के दिन दोपहर 01:30 बजे या उससे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए। इसके लिए आपके वार्ड का यातायात, केंद्र का स्थान और मौसम की स्थिति आदि को देखते हुए पहले ही घर से बाहर निकल जाना चाहिए।



अध्याय – 10

प्रवेश पत्र/एडमिट कार्ड

पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन/हालत में उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड अनंतिम रूप से जारी किया जाता है।

20 मार्च 2020 से एनटीए की वेबसाइट से उम्मीदवार को अपना एडमिट कार्ड/प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा और उसपर दर्शाई गई तिथि और समय पर दिए गए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा।

किसी भी उम्मीदवार को उनके एडमिट कार्ड पर आवंटित किए गए दिनांक और समय के अलावा किसी अन्य समय पर उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी।

यदि उम्मीदवार वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में असमर्थ है तो उसे 27 मार्च 2020 से 10 अप्रैल 2020 तक सुबह 10 बजे से शाम 05 बजे के बीच हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड के साथ-साथ सूचना विज्ञप्ति पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा के दौरान गंभीरता से उसका पालन करें।

उम्मीदवारों के विवरणों या उसकी तस्वीर और हस्ताक्षर में कोई विसंगति दिखाई पड़ती है तो वह तुरंत 27 मार्च 2020 से 10 अप्रैल 2020 के बीच सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच हेल्पलाइन पर संपर्क करें और सहायता मांगें। ऐसे मामलों में उम्मीदवार पहले से डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड के साथ परीक्षा में उपस्थित होंगे। हालांकि एनटीए बाद में रिकॉर्ड में सुधार करने के लिए कार्रवाई करेगा।

निर्देश –

- (क) उम्मीदवार कृपया यह ध्यान दें कि एडमिट कार्ड डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।
- (ख) किसी भी स्थिति में नीट-यूजी 2020 के लिए डुप्लीकेट एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्रों में जारी नहीं किए जाएंगे।
- (ग) उम्मीदवार को अपने एडमिट कार्ड को न ही काटना-छांटना चाहिए और न ही उसमें दी गई प्रविष्टियों को बदलना चाहिए।
- (घ) उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड को भविष्य के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अच्छी स्थिति में संरक्षित करें।
- (ङ) उन अभ्यर्थियों को कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा जिनके आवेदन किन्हीं कारणों से अधूरे पाए गए थे (जिनमें अस्पष्ट / संदेहजनक तस्वीर / अहस्ताक्षरित आवेदन शामिल हैं)
- (च) हालांकि, एडमिट कार्ड जारी करने का अर्थ आवश्यक रूप से पात्रता की स्वीकृति नहीं होगी, उसे तो प्रवेश प्रक्रिया के आगामी चरणों में जांचा जाएगा।



अध्याय – 11

परीक्षा कक्ष / हॉल में पालन किए जाने वाले निर्देश

सामान्य –

- (क) परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र खुल जाएगा। दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे यातायात, केंद्र का स्थान, मौसम की स्थिति आदि जैसे सभी तथ्यों को पहले से ही ध्यान में रखकर घर से निकलें।

परीक्षा की तिथि	03 / 05 / 2020 (रविवार)
परीक्षा का समय और अंतराल	02:00 बजे दोपहर से 05:00 बजे शाम तक (3 घंटे)
• परीक्षा केंद्र में आखिरी प्रवेश	01:30 बजे दोपहर
• परीक्षा कक्ष / हॉल में अपनी सीट पर बैठना	01:15 बजे दोपहर
• परीक्षक द्वारा एडमिट कार्ड की जांच और महत्वपूर्ण निर्देशों की घोषणा	01:30 बजे दोपहर से 01:45 बजे दोपहर
• परीक्षक द्वारा टेस्ट बुकलेट का वितरण	01:45 बजे दोपहर
• उम्मीदवार द्वारा टेस्ट बुकलेट पर विवरणों को भरना	01:50 बजे दोपहर
• परीक्षा शुरू	02:00 बजे दोपहर
• परीक्षा समाप्त	05:00 बजे दोपहर

- (ख) उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में प्रवेश के वक्त, मांगे जाने पर अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। एक ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वैध एडमिट कार्ड नहीं है उसे केंद्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ग) प्रत्येक उम्मीदवार को उनके रौल नंबर (क्रमांक) वाली सीट आवंटित की जाएगी। उम्मीदवार को अपने क्रमांक वाली सीट का पता लगाना होगा और तब बैठना है। यदि किसी उम्मीदवार परीक्षा में आवंटित अपनी सीट के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार की सीट या कक्ष में उपस्थित पाया जाता है तो उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।
- (घ) परीक्षा समय के दौरान परीक्षक प्रत्येक उम्मीदवार की पहचान का पता लगाने के लिए उसके एडमिट कार्ड की जांच करेगा। परीक्षक उत्तर पुस्तिका और उपस्थिति पत्रक में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करेंगे।



(ङ) दोपहर 01:30 बजे के बाद आने वाले उम्मीदवार के किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(च) उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर सिर्फ निम्नलिखित दस्तावेज लाने चाहिए। जो अभ्यर्थी इन्हें नहीं लाएंगे उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा

- नीट-यूजी 2020 परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में उपस्थित पत्रक पर तस्वीर चिपकाने की निर्दिष्ट जगह तस्वीर लगाने के लिए ठीक वैसी ही एक पासपोर्ट साइज तस्वीर लेकर आएंगे जैसा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए अपलोड किया था।
- सफेद बैकग्राउंड के साथ एक (4" 6") का रंगीन फोटोग्राफ, को एडमिट कार्ड वाले डाउनलोडेड प्रोफार्मा पर पेस्ट किया जाना चाहिए और केंद्र पर मौजूद परीक्षक को सौंप देना चाहिए।
- अधिकृत फोटो आईडी में एक कोई भी एक मूल और वैध होना चाहिए और उसे फोटोग्राफ के साथ जैसे कि पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/पासपोर्ट/आधार कार्ड/राशन कार्ड/कोई अन्य।
- पीडब्लूडी श्रेणी के तहत छूट का दावा करने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए पीडब्लूडी प्रमाण पत्र

(छ) अभ्यर्थियों को किसी भी वर्जित वस्तु या ऐसी वस्तु जिसका अनुचित व्यवहार हो सकता हो, उसे लाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा केंद्र के अंदर अगर उम्मीदवार को ऐसे किसी भी अनुचित व्यवहार के योग्य वस्तु के साथ पाया गया, तब उसपर दंड लागू किया जाएगा।

(ज) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं के हित में परीक्षा स्थल पर किसी भी वर्जित वस्तु (अनुभाग/धारा 17) को न लाएं क्योंकि उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं की जाएगी और उम्मीदवार को इन वस्तुओं के साथ पाए जाने पर उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(झ) कोई भी उम्मीदवार अपनी सीट या परीक्षा कक्ष/हॉल को तब तक नहीं छोड़ेगा जबतक कि परीक्षा समयानुसार समाप्त नहीं हो जाती। साथ ही उम्मीदवार को पर्यवेक्षक को अपना OMR Sheet सौंपे बिना कमरे/हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए।

(ट) परीक्षा केंद्र में धूप्रपान वर्जित है।

(ठ) उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में पानी की बोतलें, चाय, कोल्ड ड्रिंक या स्नैक्स आदि लाने की अनुमति नहीं है। मधुमेह से पीड़ित अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल (पूर्व सूचना के साथ) में शूगर टैब्लेट्स/फल-केला/सेब/नारंगी आदि और पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति है। हालांकि उन्हें चॉकलेट/कैंडी/सैंडविच आदि जैसे पैकड़ फूड ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(ड) परीक्षा एडमिट कार्ड में उल्लिखित समय पर ही शुरू होगी और परीक्षक द्वारा इससे संबंधित घोषणा भी की जाएगी।



- (द) परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षक उम्मीदवारों द्वारा कड़ाई से पालन किए जाने वाले निर्देशों की घोषणा करेंगे।
- (त) परीक्षा की शुरूआत और मध्य भाग में एक संकेत दिया जाएगा। ऐसा एक संकेत परीक्षा की समाप्ति के बाद भी दिया जाएगा। जब उम्मीदवारों को अपने जवाब / प्रतिक्रिया को चिह्नित करना बंद करना पड़ेगा।
- (थ) उम्मीदवारों को उपस्थिति पत्रक पर दो बार हस्ताक्षर करने होंगे। पहली बार, परीक्षा आरंभ होने के तुरंत बाद और पर्यवेक्षक को उत्तर पत्रक सौंपते समय दूसरी बार। उम्मीदवारों को उपस्थिति पत्रक पर निर्देशित जगह पर बांए हाथ के अंगूठे का निशान लगाने की भी आवश्यकता होगी।
- (द) उम्मीदवार यह जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि टेस्ट बुकलेट में कवर पेज के शीर्ष पर लिखे गए / दर्शाए गए पृष्ठों की संख्या टेस्ट बुकलेट में हैं या कि नहीं।
- (घ) वे उम्मीदवार जो परीक्षा की निर्धारित तिथि पर किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो सके थे, एनटीए किसी भी परिस्थिति में उनके लिए **Retest** (पुनर्परीक्षा) आयोजित नहीं करेगा।
- (न) एनटीए द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार केंद्र पर मधुमेह पीड़ित उम्मीदवारों का ध्यान रखा जाएगा।



अध्याय – 12

अनुचित साधनों का उपयोग और परीक्षा नियमों के उल्लंघन की परिभाषा

अनुचित साधनों का उपयोग एक ऐसी गतिविधि है जिसमें किसी परीक्षार्थी को दूसरे परीक्षार्थियों की तुलना में अनुचित लाभ लेने का मौका मिलता है। इसमें शामिल है लेकिन यहाँ तक यह सीमित नहीं है।

- (क) ऐसी कोई भी वस्तु या सामान जिसका उपयोग वर्जित है या जिसका अनुचित व्यवहार के लिए उपयोग किया जा सकता है। जैसी की किसी भी प्रकार का स्टेशनरी आइटम, संचार उपकरण, सामान, खाद्य सामग्री, आभूषण या परीक्षा से संबंधित पत्र के लिए प्रासंगिक या अप्रासंगिक सूचना या सामग्री।
- (ख) परीक्षा में नकल के लिए सामग्री तैयार करने या लिखने के लिए किसी का उपयोग करना।
- (ग) नीट–यूजी 2020 परीक्षा के संचालन के लिए एनटीए द्वारा समय–समय पर जारी किए गए परीक्षा नियमों या किसी भी दिशा–निर्देशों का उल्लंघन।
- (घ) अनुचित कार्यों में संलग्न अन्य उम्मीदवार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसा करने का प्रयास करने में सहायता करना या पहुंचाना।
- (ङ) केंद्र अधीक्षक द्वारा उत्तर लिखने के लिए दी गई उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त किसी भी सामग्री पर प्रश्न या उत्तर लिखना।
- (च) टेस्ट बुकलेट का कोई भी पेज, उत्तर पुस्तिका को फाड़ना या क्षत–विक्षत करना।
- (छ) परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान किसी भी अन्य व्यक्ति से संपर्क या संचार स्थापित करने की कोशिश करना।
- (ज) उत्तर पुस्तिका को परीक्षा हॉल या कमरे से बाहर ले जाना।
- (झ) प्रश्न पत्रों या इसके किसी भाग को बाहर छिपाकर भेजना/स्मगलिंग करना, या फिर उत्तर पुस्तिका या इसके किसी भाग को बाहर छिपाकर भेजना।
- (ट) परीक्षा के संचालन से जुड़े किसी भी अधिकारी या किसी भी उम्मीदवार को धमकी देना।
- (ठ) परीक्षा से संबंधित किसी भी अन्य अवांछनीय विधि या साधन का उपयोग करने का प्रयास करना।
- (ड) एडमिट कार्ड, रैंक लेटर, स्व घोषणा पत्र आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन दस्तावेज के हेरफेर और बनावट / संरचना में बदलाव।
- (ढ) परीक्षा केंद्र / हॉल में जबरन प्रवेश / निकासी पर।
- (ण) केंद्र में प्रवेश करने के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करने पर।



- (त) आवेदन पत्र/एडमिट कार्ड/प्रोफार्मा पर मॉर्फड फोटो/बनावटी या परिवर्तित तस्वीर को चिपकाना या अपलोड करना।
- (थ) OMR Sheet पर छपी किसी भी सूचना को मिटाना या उसमें कमी करना।
- (द) उत्तर पुस्तिका पर गलत जानकारी प्रदान करना।
- (ध) परिणाम घोषित होने से पहले या बाद में चुनौती के लिए वेबसाइट पर अपलोड की गई OMR Sheet में प्रतिक्रियाओं में हेरफेर करके नकली दावे करना।
- (न) परीक्षा के सुचारू और निष्पक्ष संचालन में रुकावट पैदा करना।
- (प) एनटीए द्वारा अनुचित तरीकों/साधक के रूप में किसी भी अन्य कदाचारों की घोषणा करना।

12•1 अनुचित साधनों/तरीकों का उपयोग करने के लिए सजा

परीक्षा के पहले या बाद में यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त व्यवहारों/तरीकों में से किसी एक में भी संलिप्त रहता है तब उसे अनुचित व्यवहार करने और UNFAIRMEANS (U.F.M.) के तहत मामला दर्ज करने के योग्य समझा जाएगा। उम्मीदवार को भविष्य में 3 साल के लिए डिबार/वंचित कर दिया जाए और उसे आपराधिक कार्रवाई और/या किसी अन्य कार्रवाई के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

12•2 परिणाम रद्द करना

- (क) जो अभ्यर्थी अनुचित व्यवहार करते हुए पाए जाते हैं उनके नीट-यूजी 2020 का परिणाम रद्द किए जाएंगे और घोषित नहीं किए जाएंगे।
- (ख) इसी प्रकार वे उन उम्मीदवारों के परिणाम जो कि अपने आवंटित केंद्र की अपेक्षा किसी अन्य केंद्र पर वहां के किसी परीक्षार्थी के OMR Sheet/टेस्ट बुकलेट पर उत्तर लिखेंगे अथवा किसी अन्य को अपने OMR Sheet/टेस्ट बुकलेट पर लिखने की अनुमति देते हैं उनके उम्मीदवारों के परिणाम को रद्द कर दिए जाएंगे, घोषित नहीं किए जाएंगे।



अध्याय – 13

मेरिट लिस्ट/योग्यता सूची और अर्हक/पैमाना

13.1 अर्हक पैमाना/मानदंड

एनटीए इंडियन मेडिकल कार्डिनल एक्ट, 1956 के तहत जारी किए गए ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 1997 तथा डेंटिस्ट एक्ट, 1948 के तहत जारी किए गए बीडीएस कोर्स रेगुलेशन्स, 2007 के अनुसार उपलब्ध कराए गए योग्यता मानदंडों के आधार पर नीट–यूजी 2020 के सफल उम्मीदवारों की एक अखिल भारतीय योग्यता क्रम सूची तैयार करेगा।

योग्यता मानदंड इस प्रकार है –

- (क) किसी विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए MBBS/BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश का पात्र होने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार उस अकादमिक वर्ष/शैक्षणिक वर्ष के MBBS/BDS पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में न्यूनतम 50 फीसदी अंक प्राप्त करें। हालांकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह न्यूनतम अंक 40 फीसदी होगा। दिव्यांगता अधिकार विधेयक, 2016 के तहत आने वाले निर्दिष्ट बैंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों में से अनारक्षित श्रेणी तथा सामान्य-ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 45 फीसदी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/एनसीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40 फीसदी न्यूनतम अंक होगा। MBBS/BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में अखिल भारतीय सामान्य योग्यता सूची में अर्जित किए गए अधिकतम अंकों के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा।
- (ख) ऐसी परिस्थिति में जब कि प्रत्येक श्रेणी में से पर्याप्त संख्या में छात्र/अभ्यर्थी किसी भी अकादमी वर्ष में MBBS/BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाते तो केंद्र सरकार, मेडिकल कार्डिनल ऑफ इंडिया एवं डेंटल कार्डिनल ऑफ इंडिया से सलाह लेकर इन श्रेणियों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए MBBS/BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंक घटा सकती है, जोकि सिर्फ उस वर्ष के लिए मान्य होंगे।
- (ग) MBBS/BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता रखने के लिए एक अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी तथा अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना चाहिए और उसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी की अर्हक परीक्षा में, जैसा कि स्नातक चिकित्सा शिक्षा अधिनियम/विनियम, 1997, संशोधन 2018 तथा बीडीएस पाठ्यक्रम अधिनियम, 2007 में उल्लिखित है, साझे रूप में न्यूनतम 50 फीसदी अंक प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे MBBS/BDS पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की योग्यता सूची में शामिल होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/एनसीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के संबंध में भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी की अर्हक परीक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा (भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान) में 50 फीसदी अंक के बजाय, 40 फीसदी अंक प्राप्त होना चाहिए। विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्दिष्ट बैंचमार्क विकलांगता वाले छात्रों के



संबंध में भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी में न्यूनतम अंक कुल मिलाकर 50 फीसदी के बजाए 45 फीसदी होना चाहिए तथा अनारक्षित वर्ग सामान्य-ईडब्लूएस के उम्मीदवारों तथा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/एनसीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40 फीसदी होना चाहिए।

- (घ) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने ओपन स्कूल या निजी स्तर पर पढ़ाई करके बारहवीं की परीक्षा पास की है वे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के लिए उपस्थित नहीं होंगे। इसके अलावा ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने बारहवीं में अतिरिक्त जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी एक विषय के रूप में पढ़ा हो, वो भी उपस्थित नहीं होंगे।

निर्देश –

तिरछे अक्षरों में लिखे गए नियम/प्रतिबंध/शर्त माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ तथा माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर खंडपीठ के समक्ष चुनौती का विषय रहे हैं। मान्यताप्राप्त ओपन स्कूल बोर्ड के उम्मीदवारों तथा ऐसे उम्मीदवारों जिन्हें जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी की पढ़ाई एक अतिरिक्त विषय के रूप में की है, उनको अयोग्य घोषित करने वाले नियम निष्फल किए गए हैं, अक्षम किए गए हैं।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अवकाश याचिकाओं/स्पेशल लीव पेटिशन पेश किया है और माननीय उच्च न्यायालयों में अपील की है। इसलिए नीट-यूजी में ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिन्होंने अर्हक परीक्षाएं उत्तीर्ण की है यानि कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपन स्कूलिंग से या स्टेट ऑपन स्कूल से या एक निजी उम्मीदवार के रूप में बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है या उन्हें अनुमति दी जाएगी लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर किए गए स्पेशल लीव पेटिशन/अपील अभिपरिणाम के अधीन है।

- (ड) बर्ती कि एक उम्मीदवार जो योग्यता परीक्षा में उपस्थित हुआ है और उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है। उसे प्रवोविजनली/अनंतिम रूप से प्रतियोगिता प्रवेश देने की अनुमति दी जा सकती है और MBBS/BDS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए चयन के मामले में जब तक वह पात्रता मानदंडपूरा नहीं करता है, तब तक उसे उस पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विवरणों के लिए उम्मीदवार स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 तथा बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 का उल्लेख कर सकते हैं।

एनटीए द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) यूजी 2020 में प्राप्त अंकों के आधार पर अखिल भारतीय रैंक तथा राज्य के रैंक के क्रमानुसार सफल उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाएगी।

टाई ब्रेकिंग के लिए उम्मीदवारों के अंतर से योग्यता

नीट यूजी 2020 में दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के बराबर अंक प्राप्त करने मामले में अंतर से योग्यता इस प्राकर निर्धारित किए जाएंगे।

- (क) परीक्षण में जीव विज्ञान (प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान) में उच्च अंक/प्रतिशतता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार, तथा
- (ख) परीक्षण में रसायन विज्ञान में उच्च अंक/प्रतिशतता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार, तथा



- (ग) परीक्षण के अन्य विषयों में अभ्यर्थी के द्वारा कम मात्रा में प्रयास किए गए गलत उत्तरों का कम अनुपात और बाकी शुद्ध उत्तर,
- (घ) उम्मीदवार, जो उम्र में बड़ा हो

13•3 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा के तहत परामर्श हेतु मेरिट सूची

नीट-यूजी 2020 में प्राप्त अंकों के आधार पर एनटीए द्वारा 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटे की सीटों के लिए आवेदन करने वाले योग्य एवं सफल उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सफल उम्मीदवारों की इस मेरिट सूची को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (चिकित्सा परीक्षा प्रकोष्ठ), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा सीटों पर ऑनलाइन परामर्श द्वारा आवंटन के उद्देश्य से अग्रसारित किया जाएगा।

13•4 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा के अलावा अन्य सीटों की मेरिट सूची

- (क) एनटीए अखिल भारतीय रैंक/दर्जा प्रदान करेगा और परिणाम को डीजीएचएस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के साथ साझा किया जाएगा।
- (ख) प्राधिकृत अधिकारी परामर्श के लिए आवेदन आमंत्रित करेंगे।
- (ग) प्रवेश/परामर्श प्राधिकारी राज्य के द्वारा लागू नियमों के अनुसार प्रवेश/परामर्श के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों द्वारा घोषित संबंधित श्रेणियों में अखिल भारतीय रैंक दर्जा के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार करेंगे।



अध्याय – 14

परामर्श हेतु निर्देश

- 14•1** 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा और केंद्रीय संस्थानों में सभी सीटों के लिए परामर्श, जिसमें AIIMS/JIPMER/AFMC/ESI/Delhi University/BHU/AMU और डीम्ड विवि शामिल हैं।

स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा ऑनलाइन परामर्श आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन परामर्श की जानकारी केवल अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए मेडिकल परामर्श समिति की वेबसाइट www.mcc.nic.in पर उपलब्ध होगी। योग्य एवं चयनित उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परामर्श संबंधी जानकारी को ध्यान से पढ़ें और परामर्श हेतु उपस्थित होने के लिए उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को गौर से समझें। केंद्रीय संस्थानों में 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा हेतु परामर्श से संबंधित कोई भी प्रश्न निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है।

- MBBS/BDS पाठ्यक्रमों के लिए –

सहायक महानिदेशक (एमई)
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110108
ई–मेल – aiqpmr-mcc@nic.in

- BAMS/BSMS/BUMS/BHMS पाठ्यक्रमों के लिए –

निदेशक (एसआरकेवी)
आयुष मंत्रालय
आयुष भवन, बी ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स
आईएनए, नई दिल्ली – 110023
ई–मेल – counselling-ayush@gov.in

सभी परामर्श संबंधी प्रश्नों के लिए परामर्श की योजना, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हेतु कृपया वेबसाइट www.mcc.nic.in पर जाएं या परामर्श अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें सूचित करें।

उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त वेबसाइटों से परिपत्रों सूचनाओं तथा समाचार जन्य घटनाओं आदि के बारे में लगातार नई जानकारियां हासिल करते रहें।

- 14•2** 15 फीसदी अखिल भारतीय सीटों के अलावा अन्य सीटों के लिए परामर्श एवं प्रवेश –



नीट—यूजी 2020 मेरिट सूची 2020 का उपयोग करके राज्य के मेडिकल कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार, राज्य सरकार और/या मेडिकल/डेंटल/आयुर्वेद/सिद्ध/युनानी/होम्योपेथी कॉलजों के अधिकारियों के निर्देशों को पालन करेंगे।

निजी मेडिकल कॉलेजों (डीम्ड को छोड़कर) के लिए परामर्श क्रमशः उनके राज्य सरकारों के साथ होगा। मेडिकल/डेंटल कॉलेजों के मामले में निजी आयुर्वेद/सिद्ध/युनानी/होम्योपेथी कॉलजों की 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा की सीटें आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति (AACCC) और आयुष मंत्रालय द्वारा भरी जाती हैं।

एनटीए उम्मीदवारों को एक बार अवसर प्रदान करने के उपरांत बंद हो जाने पर डेटा में परिवर्तन नहीं करेगा। विशेष परिस्थितियों में परिणाम घोषित होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा का परिवर्तन केवल और केवल एनटीए द्वारा ही किया जाएगा।

आवेदन पत्र में उम्मीदवारों की श्रेणियां केंद्रीय श्रेणी सूची के अनुसार प्राप्त की गई हैं। 15 फीसदी अखिल भारतीय कोटा की सीटों के अलावा अन्य सीटों पर परामर्श एवं प्रवेश के लिए उम्मीदवार राज्य की श्रेणी की सूची के आधार पर अपनी पात्रता के अनुसार पंजीकरण कर सकेंगे। अधिवास (डोमिसाइल) मानदंड संबंधित राज्य के मानकों के अनुरूप होगा और एनटीए की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।

राज्य सरकार के अधिकारियों की सूची परिशिष्ट – 4 में दी गई है।



अध्याय – 15

परीक्षोपरांत गतिविधियां एवं परिणाम की घोषणा

15•1 ओएमआर शीट का प्रदर्शन और वेबसाइट पर प्रतिक्रियाएं –

- (क) एनटीए वेबसाइट www.ntaneet.nic.in पर सभी उम्मीदवारों की स्कैन की गई ओएमआर शीट और रिकॉर्ड रेस्पॉस (मशीन द्वारा रिकॉर्ड/सहेजे गए उत्तर) को प्रदर्शित करेगा। इसकी सटीक तारीख, एनटीए की वेबसाइट पर परीक्षा के बाद घोषित की जाएगी।
- (ख) उम्मीदवार ओएमआर ग्रेडिंग के खिलाफ प्रति प्रश्न 1000/- रुपये प्रसंस्करण शुल्क देकर चुनौती दे सकता है।
- (ग) ओएमआर ग्रेडिंग के खिलाफ उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व का वास्तविक रिकॉर्ड से सत्यापन एनटीए द्वारा किया जाएगा और यदि आंकड़े सही पाए जाते हैं तो उन्हें सही कर दिया जाएगा परन्तु इस संबंध में किसी भी उम्मीदवार को काई भी व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाएगी।

सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ओएमआर शीट/उत्तर पत्रक की छवि देखने और डाउनलोड करने के लिए एनटीए की वेबसाइट www.ntaneet.nic.in पर जाएं और प्रतिक्रियाएं दर्ज करें।

चुनौती हेतु उत्तर पत्र का प्रदर्शन –

- (क) वेबसाइट www.ntaneet.nic.in पर उत्तर पत्र में किसी भी शंका के मामले में, एनटीए प्रश्नों के अंतिम उत्तर पत्र का प्रदर्शन करेगा और उम्मीदवारों को चुनौती प्रस्तुत करने का अवसर देगा। उत्तर पत्र के प्रदर्शन के सटीक तिथि हेतु उम्मीदवार परीक्षा के बाद नियमित रूप से एनटीए की वेबसाइट www.ntaneet.nic.in पर अद्यतन स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- (ख) उम्मीदवारों को अनन्तिम उत्तर पत्र के खिलाफ चुनौती हेतु प्रति प्रश्न 1000/- रुपये प्रक्रिया शुल्क के साथ अवसर प्रदान किया जाएगा।
- (ग) विषय-विशेषज्ञों की पीठ द्वारा उम्मीदवारों की चुनौतियों का सत्यापन एनटीए करेगा। सही पाए जाने पर उत्तर पत्र को तदनुसार संशोधित किया जाएगा एवं इसी संशोधित अंतिम उत्तर पत्र के आधार पर ही परिणाम करके घोषित किया जाएगा।
- (घ) चुनौतियों की स्वीकृति एवं तिरस्करण के बारे में किसी भी उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जाएगा।
- (ङ) चुनौती के बाद परिष्कृत उत्तर पत्र ही अंतिम उत्तर पत्र होगा।



15•3 परिणाम की घोषणा

- (क) राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान मानक प्रक्रिया का प्रयोग कर ही उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करेगी और परिणाम वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवार अपने संबंधित परिणाम पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
- (ख) एनटीए, डीजीएचएस और आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति के मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार मेरिट सूची तैयार करेगा।
- (ग) श्रेणीवार परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा।
- (घ) नीट—यूजी 2020 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को राज्यों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के अंतिम दौर के परामर्श के समापन तक एनटीए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मेडिकल परामर्श समिति, आयुष मंत्रालय, आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट की जांच करनी चाहिए और भाग भी लेना चाहिए।

15•4 उत्तर पत्रकों की पुनः जांच/पुनर्मूल्यांकन

- (क) मशीनों के द्वारा ग्रेड दिए जाने वाले उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन अत्यधिक सावधानी से किया जाता है और उनकी बारीकी से बार-बार जांच की जाती है।
- (ख) उत्तर पत्रकों के पुनर्मूल्यांकन या पुनः जांच का कोई प्रवधान नहीं है। इसके अधोलिखित कारण हैं।
- ओएमआर शीट या उत्तर पत्रकों की ग्रेडिंग मशीन करते हैं। ये मशीन विशिष्ट एवं निष्पक्ष सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित होते हैं।
 - उम्मीदवारों को अपनी ओएमआर शीट के ग्रेडेशन (स्तरीकरण) पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया जाता है और संदेह युक्त किसी भी मामले में चुनौती प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है।

इस संबंध में पत्राचार पर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा।

15•5 अन्य संगठनों द्वारा नीट—यूजी 2020 के परिणाम का उपयोग

- (क) नीट—यूजी 2020 के परिणाम का उपयोग केंद्र/राज्य सरकारों की अन्य संस्थानों द्वारा प्रवेश के लिए उनके अपने नियमों के अनुसार किया जा सकता है।

15•6 नियमों का निराकरण

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, नीट—यूजी 2020 का परीक्षा परिणाम, उसकी घोषणा की तारीख से 90 दिनों तक संरक्षित रहेगा।



अध्याय – 16

सामान्य सेवा केंद्र / सहायता केंद्र

ऐसी जगहें, जहां उम्मीदवार को विविध तरह की रुकावटों/अवरोधों के कारण ऑनलाइन आवेदन करने में समस्याएं आ रही हैं। वे सामान्य सेवा केंद्र, सूचना एवं तकनीक मंत्रालय, भारत सरकार के मातहत आने वाले डिजिटल इंडिया के पहल का उपयोग कर सकते हैं। सामान्य सेवा केंद्र योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान का एक हिस्सा है तथा यह ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रबंधित किया जाता है।

भारत भर में 204 लाख से ज्यादा सामान्य सेवा केंद्र हैं जो कि न्यूनतम शुल्क पर उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने तथा ई-वॉलेट के माध्यम से शुल्क के भुगतान में वांछित सहायता प्रदान करते हैं। वेबसाइट – <http://www.cse.gov.in> पर इन सामान्य सेवा केंद्रों की सूची उपलब्ध है।





हेल्पलाइन नंबर
0120-6895200

ईमेल : neetug-nta@nic.in



राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

(उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन)

पत्राचार के लिए पता:

ब्लॉक- सी20/1ए/8, सैक्टर 62, गौतम बुद्ध नगर
नोएडा-201309 (यूपी)

हेल्पलाइन: तकनीकी सहायता के लिए

दूरभाष सं. 0120-6895200

वेबसाइट : www.nta.ac.in, neetug.nta.nic.in

